झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकादश (बजट)सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांकः– 23 फाल्गुन,1944 (श0) को 14 मार्च, 2023 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
253-	टन0–02	डॉ0 नीरा यादव,	अवसर प्रदान करना।	पर्यटन,कला सं0,खेलकूद एवं यु0कार्य	21-02-23
254-	उत0–13	श्री रामचन्द्र सिंह,	डिग्री महाविद्यालय का अधिष्ठापन।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25-02-23
255-	शि0–46	श्री अमित कुमार मंडल,	चाहरदिवारी का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	02-03-23
256-	टन0–16	श्री रामचन्द्र सिंह,	पर्यटन क्षेत्र बनाना।	पर्यटन,कला सं0,खेलकूद एवं यु0कार्य	25-02-23
257-	उ0–09	डॉ0 इरफान अंसारी,	कॉरिडोर बनाना।	उद्योग	02-03-23
258-	वन0–01	डॉ0 नीरा यादव,	फसल की सुरक्षा।	वन पर्या0 एवं जलवायु परिवर्तन	21-02-23
259-	उ0–11	श्री कमलेश कुमार सिंह,	औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करना।	उद्योग	04-03-23
260-	टन0–03	श्री कोचे मुण्डा,	जलप्रपात का विकास।	पर्यटन,कला सं0,खेलकूद एवं यु0कार्य	21-02-23
261-	टन0–34	श्री अमित कुमार यादव,	नियुक्ति प्रकिया प्रारम्भ करना।	पर्यटन,कला सं0,खेलकूद एवं यु0कार्य	04-03-23
262-	टन0–30	श्री अमित कुमार मंडल,	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन,कला सं0,खेलकूद एवं यु0कार्य	02-03-23

क्0पृ0उ0.....2/-

01	02	03	04	05	06
263-	शि0-16	डॉ0 इरफान अंसारी,	विद्यालय का उत्क्रमण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23-02-23
264-	टन0-13	डॉ0लम्बोदर महतो,	पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना।	पर्यटन,कला सं0,खेलकूद एवं यु0कार्य	23-02-23
265-	टन0-32	श्री ग्लेन जोसेफ ग्लॉस्टन,	पर्यटकीय मानचित्र पर लाना।	पर्यटन,कला सं0,खेलकूद एवं यु0कार्य	02-03-23
266-	शि0-49	श्री भूषण बड़ा,	सेवा का अनुमोदन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	06-03-23
267-	शि0-44	श्री सुदिव्य कुमार,	डिग्री की पढ़ाई कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	01-03-23
268-	शि0-43	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,	कम्प्युटर ऑपरेटरों को भुगतान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	01-03-23
269-	शि0-48	श्री केदार हजरा,	पढ़ाई प्रारम्भ कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता परिवर्तन	06-03-23
270-	शि0-36	श्री रामदास सोरेन,	चाहरदिवारी का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27-02-23
271-	शि0-30	श्री ढुलू महतो,	माँगों का निराकरण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26-02-23
272-	सुई0-01	श्री राजेश कच्छप,	कार्रवाई करना।	सूचना,प्रौ0एवं ई-गवर्नेंस	23-02-23
273-	शि0-33	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	गैरयोजना मद में परिवर्तित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27-02-23
274-	टन0-38	श्री सुदेश कुमार महतो,	कला-केन्द्र का निर्माण।	पर्यटन,कला सं0,खेलकूद एवं यु0कार्य	05-03-23
275-	टन0-31	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	प्रमाण पत्रों की जाँच।	पर्यटन,कला सं0,खेलकूद एवं यु0कार्य	02-03-23
276-	शि0-08	श्री कोचे मुण्डा,	भवन का नव-निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
277-	उत0-04	श्री भानु प्रताप शाही,	पढ़ाई चालु करवाना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21-02-23
278-	टन0-15	श्री दिनेश विलियम मराण्डी,	पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना।	पर्यटन,कला सं0,खेलकूद एवं यु0कार्य	25-02-23
279-	टन0-19	श्री राज सिन्हा,	मानदेय में वृद्धि।	पर्यटन,कला सं0,खेलकूद एवं यु0कार्य	25-02-23

क0प्र0उ0.....3/-

01	02	03	04	05	06
280-	शि०-32	श्री नलिन सोरेन,	शिक्षकों का पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27-02-23
281-	वन०-15	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,	स्थाई माचा बनाना।	वन पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	27-02-23
282-	टन०-36	श्री सुखराम उराँव,	मूल-भूत सुविधाओं की व्यवस्था।	पर्यटन,कला सं०,खेलकूद एवं यु०कार्य	04-03-23
283-	शि०-23	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	मानदेय का भुगतान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरत	25-02-23
284-	टन०-28	श्री मनीष जायसवाल,	मूल-भूत सुविधाएँ देना।	पर्यटन,कला सं०,खेदकूद एवं यु०कार्य	01-03-23
285-	उत०-15	श्री दीपक बिरुवा,	शिक्षकों का पदस्थापन।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	01-03-23
286-	शि०-45	श्री नलिन सोरेन,	शिक्षकों का पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	01-03-23
287-	शि०-21	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	विद्यालयों का अधिग्रहण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23-02-23
288-	शि०-27	श्रीमती सबिता महतो,	पठन-पाठन प्रारंभ कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24-02-23
289-	उ०-01	श्री समीर कुमार मोहंती,	फैक्ट्री पर कार्रवाई।	उद्योग	21-02-23
290-	टन०-12	डॉ०लम्बोदर महतो,	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन,कला सं०,खेलकूद एवं यु०कार्य	23-02-23
291-	उत०-17	श्री कमलेश कुमार सिंह,	महाविद्यालय की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	04-03-23
292-	शि०-06	श्री केदार हजरा,	शिक्षकों का पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
293-	वन०-14	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता,	प्रबंधन पर कार्रवाई।	वन पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	24-02-23
294-	टन०-20	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता,	पर्यटन क्षेत्र का दर्जा।	पर्यटन,कला सं०,खेलकूद एवं यु०कार्य	24-02-23
295-	उत०-19	श्री सुखराम उराँव,	बी०एड० कॉलेज की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	06-03-23
296-	उत०-10	श्री अनन्त कुमार ओझा,	उपकरण उपलब्ध कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	23-02-23
297-	शि०-17	श्री किशुन कुमार दास,	पद पर समायोजित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23-02-23

01	02	03	04	05	06
298-	वन०-17	श्रीमती पुष्पा देवी,	मुआवजा देना।	वन पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	28-02-23
299-	शि०-38	प्रो०स्टीफन मराण्डी,	ए०सी०पी० का लाभ देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	01-03-23
300-	शि०-19	श्री उमाशंकर अकेला,	एजेन्सी पर कार्रवाई।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23-02-23
301-	उत०-14	श्री दशरथ गागराई,	रिक्त पदों को भरना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25-02-23
302-	टन०-24	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	खिलाड़ियों की नियुक्ति।	पर्यटन,कला सं०,खेलकूद एवं यु०कार्य	26-02-23
303-	टन०-35	श्री सरयू राय,	संरचनाओं का निर्माण।	पर्यटन,कला सं०,खेलकूद एवं यु०कार्य	04-03-23
304-	शि०-41	श्री दशरथ गागराई,	विद्यालय भवन का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	01-03-23
305-	शि०-34	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	विज्ञापन जारी करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	06-03-23
306-	टन०-11	श्री उमाशंकर अकेला,	पर्यटन स्थल घोषित करना।	पर्यटन,कला सं०,खेलकूद एवं यु०कार्य	23-02-23
307-	उत०-05	श्री अमित कुमार यादव,	पठन-पाठन प्रारंभ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	21-02-23
308-	टन०-22	श्रीमती सबिता महतो,	स्टेडियम को चालू करना।	पर्यटन,कला सं०,खेलकूद एवं यु०कार्य	25-02-23
309-	टन०-17	श्री दिनेश विलियम मराण्डी,	प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण।	पर्यटन,कला सं०,खेलकूद एवं यु०कार्य	25-02-23
310-	उ०-10	सुश्री अम्बा प्रसाद,	कंपनियों पर कार्रवाई।	उद्योग	02-03-23
311-	शि०-47	डॉ०कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	पद के अनुसार वेतनमान् देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	04-03-23
312-	शि०-12	श्री समीर कुमार मोहंती,	विद्यालय भवन का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	21-02-23
313-	टन०-27	श्रीमती पुष्पा देवी,	मंदिर का सौदर्यीकरण।	पर्यटन,कला सं०,खेलकूद एवं यु०कार्य	01-03-23
314-	शि०-01	श्री विनोद कुमार सिंह,	मानदेय का भुगतान।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	14-02-23

01	02	03	04	05	06
315-	टन0-01	श्री विनोद कुमार सिंह,	योजना की स्वीकृति।	पर्यटन,कला सं0,खेलकूद एवं यु0कार्य	14-02-23
316-	शि0-37	श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी,	सरकारी लाभ देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27-02-23
317-	शि0-26	श्री रामदास सोरेन,	जनजातीय भाषा में परीक्षा।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	24-02-23
318-	शि0-29	श्री ढुलू महतो,	घाटानुदान देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	26-02-23

रॉंची,
दिनांक-14 मार्च,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-03/2020-1110/वि0स0,रॉंची,दिनांकः-13/03/23

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-03/2020-1110/वि0स0,रॉंची,दिनांकः-13/03/23

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी एवं प्रभारी सचिव महोदय के निजी सहायक को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-03/2020-1110/वि0स0,रॉंची,दिनांकः-13/03/23

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन समिति/शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

09.03.23

253

डॉ० नीरा यादव, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–14.03.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–02 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
डॉ० नीरा यादव, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के आउटडोर स्टेडियम, इन्डोर स्टेडियम व प्रशिक्षण केन्द्र के अभाव में यहाँ के युवाओं को सही प्रशिक्षण के अभाव में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल पाता है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** बागीटॉड़, कोडरमा में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा बागीटॉड़ में ही इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कार्य अंतिम अवस्था में है। वर्त्तमान में कोडरमा जिला में ताइक्वाण्डों का डे–बोर्डिंग (बालिका) संचालित है, जिसमें 25 बालिका प्रशिक्षणरत्त है।
2	क्या यह बात सही है कि जिला के डोमचॉच प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ के स्थानीय युवक–युवतियों को खेल प्रशिक्षण प्राप्त करने में कठिनाईयाँ हो रही है तथा उन्हें खेल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है;	डोमचॉच प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम के मुख्य भवन, चहारदिवारी, पैवैलियन स्तर तक का कार्य कराया गया है। तकनीकी त्रुटि के कारण वर्त्तमान में कार्य स्थगित है एवं कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला में खेल प्रशिक्षक का पदस्थापन नहीं होने के कारण यहाँ के नवयुवकों को कठिनाईयाँ हो रही है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** वर्त्तमान में ताईक्वाण्डो का डे–बोर्डिंग (बालिका) प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है, जिसमें एक खेल प्रशिक्षक नियुक्त है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोडरमा जिला के स्थानीय युवा–युवतियों को खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में उचित अवसर प्रदान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार विभिन्न जिलों के स्थानीय युवक/युवतियों को खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर उचित अवसर प्रदान करने के निमित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नए आवासीय एवं डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्रों का अधिष्ठापन एवं संचालन के निमित मार्गदर्शिक का गठन प्रक्रियाधीन है जिसके पश्चात खेलकूद के अवसरों को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त होगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–04/2023 518 / राँची, दिनांक 10.03.2023

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–75/वि०स०, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

254

श्री रामचन्द्र सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–13 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत बरवाडीह, गारू, सरयू के छात्र–छात्राओं को 12वीं की परीक्षा उपरांत उच्च शिक्षा हेतु डालटेनगंज 60 कि0मी0 लातेहार 100 कि0मी0 या अन्यत्र दूसरे शहर जाना पड़ता है जो अत्यंत खर्चीला है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बरवाडीह, गारू, सरयू में अंगीभूत महाविद्यालय स्थापित नहीं है। बरवाडीह, गारू, सरयू मनिका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, मनिका संचालित है, जहॉ पठन–पाठन का कार्य चल रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित क्षेत्र के कई छात्र–छात्राएं स्थानीय तौर पर महाविद्यालय नहीं होने के कारण आवागमन एवं आर्थिक तंगी के कारण 12वीं के बाद Drop-out कर जाते है;	अस्वीकारात्मक। बरवाडीह क्षेत्र के सभी छात्र–छात्राएं मनिका कॉलेज, मनिका में शिक्षा ग्रहण कर रहे है। साथ ही लातेहार, महुआटांड एवं डालटेनगंज में महाविद्यालय अवस्थित है।
3.	क्या यह बात सही है कि बरवाडीह में डिग्री महाविद्यालय का अधिष्ठापन हेतु अंचल द्वारा भूमि चिन्हित कर उपयुक्त को सौंपी गयी है;	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 364 दिनांक 06.03.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल–बरवाडीह मौजा–मुरगीडीह, प्लाट–890, रकबा–7.92 एकड़ चिन्हित किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बरवाडीह मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय अधिष्ठापन का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में प्रखण्ड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का अभी कोई निर्णय नहीं है, इसके अतिरिक्त GER को देखते हुए जिलावार अतिरिक्त महाविद्यालयों की स्थापना हेतु योजना तैयार की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–24 / 2023 644 / रॉची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–478 दिनांक–25.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

(255)

788
12/03/2023

श्री अमित कुमार मंडल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–46

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है जिला गोड्डा अन्तर्गत क्रमशः उच्च विद्यालय, मोतिया, प्लस–टू उच्च विद्यालय, पथरगामा, गर्ल्स कबुतरी विद्यालय, पथरगामा, प्लस–टू स्कूल, रमला, प्लस–टू स्कूल, कोरका, प्लस–टू स्कूल, लुकलूकी, प्लस–टू स्कूल, जमनी की चाहरदिवारी एवं समुचित भवन की स्थिति अत्यंत दयनीय है;	आंशिक स्वीकारात्मक +2 उच्च विद्यालय मोतिया, +2 स्कूल लुकलुकी में चहारदीवारी की सुविधा उपलब्ध है। +2 स्कूल पारसमनी में आंशिक चहारदीवारी उपलब्ध है, उच्च विद्यालय कोरका में चहारदीवारी क्षतिग्रस्त है । +2 स्कूल जमनी, उच्च विद्यालय रमला, गर्ल्स कबुतरी विद्यालय पथरगामा में चहारदीवारी उपलब्ध नहीं है । उक्त विद्यालयों में पठन–पाठन हेतु वर्गकक्ष, शौचालय, पेयजल एवं विद्युत की सुविधा उपलब्ध है। (तालिका नीचे) उपर्युक्त विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं की कमियों को पूर्ण किये जाने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा से स्पष्ट प्रतिवेदन एवं नामांकन उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेश दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि जिले के डी.एम.एफ.टी. योजना राशि से खण्ड–1 में वर्णित स्कूलों की स्थिति प्राथमिकता के आधार पर चाहरदिवारी एवं भवन निर्माण किया जा सकता है;	स्वीकारात्मक सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के पत्रांक– D.O. No. 21-8/2022-IS9 दिनांक 30.12.2022 तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के सचिवों के संयुक्त पत्रांक F.No.-21-8/2022-IS-9-Part (I) दिनांक 19.12.2022 द्वारा विद्यालयों के बुनियादी आधारभूत संरचना को पूरा करने हेतु जिले में 15वीं वित्त आयोग, मनरेगा तथा DMFT में उपलब्ध निधि का उपयोग करते हुए पूरा करने का निदेश दिया गया है। भारत सरकार के इस पत्र के आलोक में जिले के विद्यालयों में यू–डायस 2021–22 के आधार पर पायी गई बुनियादी आधारभूत संरचनाओं की कमियों को पूरा करने हेतु सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के स्तर से DMFT में उपलब्ध निधि से जिले के सरकारी विद्यालयों में बुनियादी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के संबंध में पत्रांक JEPC/CIV/03/767/2022/113 दिनांक 11.01.2023 द्वारा गोड्डा जिला सहित सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र निर्गत किया गया है।

क्र.	विद्यालय का नाम	चहारदीवारी की स्थिति	कमरों की स्थिति
1	उ0वि0मोतिया	उपलब्ध है	6 कमरा उपलब्ध है।
2	+2 उ0वि0पथरगामा	एक तरफ चहारदीवारी क्षतिग्रस्त है	10 कमरा उपलब्ध है तथा 10 निमार्णाधीन है।
3	बालिका उ0वि0 पथरगामा	चहारदीवारी क्षतिग्रस्त है	कुल 26 कमरा उपलब्ध है जिसमें 8 में लघु मरम्मति की आवश्कता है।
4	+2उ0वि0 रमना	चहारदीवारी उपलब्ध है	5 कमरा उपलब्ध है।
5	+2 उ0वि0 लुकलुकी	चहारदीवारी उपलब्ध है	नया विद्यालय भवन बना है एवं पूर्व से 3 कमरा उपलब्ध है।
6	+2 उ0वि0 जमनी	चहारदीवारी उपलब्ध नहीं है	8 कमरों को निर्माण कराया गया है तथा पूर्व से 3 कमरा निर्मित है। जो अच्छी स्थिति में है।
7	+2 उ0वि0कोरका	चहारदीवारी अधूरा है	5 कमरा अच्छी स्थिति में तथा 5 कमरा क्षतिग्रस्त है।

वि0स0/11 –
12/3/23

श्री अमित कुमार मंडल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0-46

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्कूलों की चाहरदिवारी जिला या विभाग से उपलब्ध राशि से निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड–2 में निहित है।

विभा।।।
12/3/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–83 / 2023.....788..... रॉंची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभा।।।
12/3/23

सरकार के अवर सचिव।

256

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–16 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के अन्तर्गत नेतरहाट, लोधफोल, सुगा बांध एवं बेतला नेशनल पार्क में पूरे वर्ष हजारों–हजार की संख्या में पर्यटक आना बना रहता है,	1.	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक केवल पीक सिजन (अक्टुबर से जनवरी तक) में पर्यटक अधिक आते है।
2.	क्या यह बात सही है कि नेतरहाट, लोधफोल, सुगा बांध एवं बेतला नेशनल पार्क के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से Tourism Corridor बनाकर यथा बनारी से नेतरहाट Sunset point तक Rope-way नेतरहाट में Water park Children park, Botanical Garden, लोध फॉल को सौंदर्यीकरण सुगा बांध का सौंदर्यीकरण, बेतला नेशनल पार्क का विकास कर एवं इन स्थलों पर आवागमन हेतु पर्यटन विभाग द्वारा परिवहन की व्यवस्था करने से इस पूरे क्षेत्र को पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा,	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत नेतरहाट के मैग्नोलिया सनसेट प्वाईंट पर पार्किंग, फूड कियोस्क, टॉयलेट ब्लॉक निर्माण; नेतरहाट में पर्यटक सूचना केन्द्र का निर्माण, पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण; कोयल रिवर व्यू प्वाईंट पर कैफेटेरिया, गजेबो, टेन्ट बेस, पार्किंग बैठने हेतु बेंच, पाथवे आदि कार्य; नेतरहाट लेक के पास ट्राईबल हाट, फूड कियोस्क, गजेबो, टॉयलेट, पाथवे, बेंच, सोलर लाईट आदि कार्य कराये जा रहे हैं तथा बेतला में कैफेटेरिया, गजेबो, पोर्किंग, पाथवे, सोलर लाईट, बेंच आदि कार्य कराये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत नेतरहाट लेक में जलक्रीड़ा का भी प्रावधान है। 70% से अधिक कार्य सम्पन्न हो गया है। राज्य की निधि से भी नेतरहाट में कॉटेज एवं कैफेटेरिया का निर्माण तथा नैना जलप्रपात एवं सनराईज प्वाईंट पर इको पर्यटन विकास हेतु ₹2,90,92,000/– की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है तथा बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र में कॉटेज व कैफेटेरिया निर्माण हेतु ₹1,24,74,000/– की स्वीकृति दी गयी है जिसका कार्यान्वयन पलामू ब्याघ्र परियोजना द्वारा किया जाना है। लोध फॉल व सुग्गा बांध वन क्षेत्र के अन्तर्गत है तथा पर्यटक स्थल अधिसूचित है। वन क्षेत्रों में स्थित पर्यटक स्थलों पर इको पर्यटक विकास हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची से प्रस्ताव व प्राक्कलन माँगा गया है। प्रस्ताव व

जितेन्द्र

			प्राक्कलन प्राप्त होने पर स्वीकृति पर निर्णय तत्समय बजट की स्थिति पर निर्भर करेगा। जहाँ तक बनारी से सनसेट प्वाईंट तक रोपवे अधिष्ठापन का प्रश्न है, पर्यटन निदेशालय द्वारा राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर रोपवे अधिष्ठापन हेतु फिजिबिलिटी जाँच करने तथा डी०पी०आर० तैयार करने हेतु एजेंसी के चयन के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात रोपवे अधिष्ठापन के लिए संभाव्य स्थलों जिसमें नेतरहाट भी शामिल हो सकता है, की फिजिबिलिटी जाँच कराई जायेगी। बनारी से सनसेट प्वाईंट तक रोपवे हेतु फिजिबिलिटी जाँच के अनुसार सभी मानदण्डो पर उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में रोपवे अधिष्ठापन कराये जाने पर निर्णय भूमि उपलब्धता तथा बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। लोध फॉल, सुग्गा बांध नेतरहाट व बेतला के बीच झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०, राँची से बस चलाये जाने की संभावना पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/21/2023 512 /राँची, दिनांक 10.03.2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–488/वि०स०, दिनांक–25/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

257

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–09

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य अवस्थित गोविन्दपुर–साहेबगंज पथ राज्य का एक प्रमुख पथ है, जो झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों एवं अन्य राज्यों को भी जोड़ता है तथा इस पथ पर अत्यधिक व्यवसायिक वाहनों का आवागमन होता है एवं इस पथ के दोनों किनारों पर उद्योग धंधों के स्थापित करने की असीम संभावनाएं है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस पथ के दोनों किनारों पर उद्योग स्थापित करने हेतु पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध हैं;	गोविंदपुर–साहिबगंज पथ के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारा निर्माण हेतु जियाडा को हस्तांतरित की जानेवाली भूमि से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, जामताड़ा उपायुक्तों को जियाडा, राँची के पत्रांक–01 दिनांक–02.01.2023 द्वारा सूचित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस पथ के दोनों किनारों पर अवस्थित सरकारी जमीन को चिन्हित कर इसे इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। राज्य सरकार उक्त वर्णित पथ के आस–पास के क्षेत्रों में औद्योगिक गलियारा एवं औद्योगिकीकरण को बढ़ाना देने हेतु प्रत्यनशील है एवं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–16 / 23 297 /राँची, दिनांक:– 13.03.2023
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–842 दिनांक–02.03.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2023
सरकार के अवर सचिव

डॉ0 नीरा यादव, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–01 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधान सभा क्षेत्र के डोमचाँच प्रखण्ड अन्तर्गत मसनोडीह, फुलवरिया बीधा, धरगाँव एवं मरकच्चो प्रखण्ड अन्तर्गत पपलो, खण्डाराडीह, महुआटाँड़, भगवतीडीह कृषि आधारित आजीवका वाला प्रमुख ग्राम है जहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन में कृषि कार्य होते हैं;	स्वीकारात्मक। उक्त क्षेत्र कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के आस–पास बसे हुए है। यहाँ रहने वाले समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित ग्राम पंचायत में जंगली जानवरों यथा जंगली सुअर, नीलगाय इत्यादि के प्रवेश होने पर लगे फसल को बर्बाद कर दी जाती है, जिससे कृषकों को कठिनाईयाँ हो रही है और उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है;	स्वीकारात्मक। कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी वन्यजीवों का अधिसूचित प्राकृतिक पर्यावास है। आश्रयणी में रहने वाले वन्यजीव यदा–कदा अपने पर्यावास से निकल कर आस–पास के ग्राम में खेतों में विचरण किया करते है। जंगली जानवरों द्वारा फसल की क्षति किये जाने की स्थिति में किसानों को मुआवजा प्रदान की जाती है। ग्रामीणों को क्षतिपूर्ति हेतु उचित मुआवजा ससमय दिये जाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। जंगली जानवरों द्वारा फसल की क्षति का भुगतान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या–वन्यप्राणी–08/2000–3906 दिनांक–18.09.2017 के आलोक में रू0 20,000/– प्रति हे0 अधिकतम 40,000/–रू0 के दर से किया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित ग्राम पंचायत में लगे फसल के बचाव हेतु कटीली तार का अविलम्ब घेराबन्दी करा कर कृषकों द्वारा लगाये गये फसल को सुरक्षित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वन्यजीवों के प्राकृतिक पर्यावास के पास बसे ग्रामों में फसल क्षति को रोकने हेतु सोलर लाईट लगाए गये है, जिससे रात्रि के समय रोशनी को देखकर वन्यजीव गाँवों की ओर न बढ़े। कंटीले तारों का प्रयोग किये जाने से वन्य जीवों के घायल होने का खतरा बना रहेगा। इस समस्या का वन विभाग एवं स्थानीय ग्रामीणों के आपसी सामंजस्य से हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–15/2023– 913 व0प0, दिनांक– 13/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–84, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/23
(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(259)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–11

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत एकमात्र सीमेंट उद्योग हार्वे सोन वैली सीमेंट उद्योग, जपला की लीज भूमि Official Liquidator के समक्ष Liquidation हेतु विचाराधीन है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 2156 दिनांक 28.08.2018 एवं पत्रांक 480 दिनांक 17.02.2021 के द्वारा Official Liquidator उच्च न्यायालय, पटना से निर्धारित देय मूल्य एवं शर्तें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, परन्तु 15 फरवरी, 2023 तक इस पर कोई कार्रवाई नही हुई है;	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित लीज भूमि को झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा प्राप्त कर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है;	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत एकमात्र सीमेंट उद्योग जपला की भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	सर्वश्री सोनवैली सिमेंट जपला में स्थित लीज होल्ड भूमि रकवा–137.99 बीघा, जो Liquidation हेतु विचाराधीन है, राज्य सरकार द्वारा उक्त संदर्भित भूमि को झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा प्राप्त कर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। संदर्भित भूमि हस्तांतरण हेतु निर्धारित देय मूल्य एवं शर्त उपलब्ध कराने के लिए Official Liquidator से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की मांग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है। इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–20/23 300 /राँची, दिनांक:– 13/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–939 दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2023

सरकार के अवर सचिव

260

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–03 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत तोरपा प्रखण्ड में जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पाण्डु पुडिंग जलप्रपात स्थित है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जलप्रपात में पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास एवं सुरक्षा हेतु कुछ कार्य अभी तक नहीं किया गया है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक सुरक्षा हेतु पर्यटन मित्र की व्यवस्था है।
3.	क्या यह बात सही है कि विगत जनवरी माह 2023 में इस जलप्रपात में डूबने से तीन छात्रों की असामयिक मृत्यु हो चुकी है,	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त जलप्रपात में सैलानियों के सुरक्षा एवं जलप्रपात के विकास हेतु कार्य करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	4.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 359 दिनांक 22.02.2023 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त –सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, खूँटी को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/05/2023 485 /राँची, दिनांक 04.03.2023

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–76/वि०स०, दिनांक–21/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

261

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–34 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य गठन के 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुरातत्व विभाग एवं राजकीय संग्रहालयों में किसी भी पद के लिए नियुक्ति नहीं की गयी है, जिस कारण राज्य के विश्वविद्यालय से उतीर्ण छात्र राज्य के बाहर पलायन कर रहें हैं,	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** राज्य गठन के पश्चात् राज्य संग्रहालय होटवार, राँची में अनुकम्पा पर एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी तथा दुमका संग्रहालय दुमका में अनुकम्पा पर एक तृतीय वर्गीय कर्मी की नियुक्ति की गयी है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में पुरातत्व विभाग एवं राजकीय संग्रहालयों में रिक्त पड़े सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब प्रारंभ कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2.	झारखण्ड संस्कृति संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली–2022 का गठन प्रक्रियाधीन है। इस प्रस्तावित नियमावली में कला, पुरातत्व एवं संग्रहालय प्रक्षेत्र के पद शामिल है। इस नियमावली के तहत् गठित संस्कृति संवर्ग में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन का प्रस्ताव है, जिन पर नियुक्ति क्रमशः झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। सभी संबंधितों की सहमति प्राप्त होने के उपरांत नियमावली को राज्य मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जायेगा। तत्पश्चात नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/45/2023...528.../राँची, दिनांक...11.03.2023...

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–946/वि०स०, दिनांक–04/03/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

262

श्री अमित कुमार मंडल, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–14.03.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–30 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री अमित कुमार मंडल, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम एवं पथरगामा में आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु जिला स्तर से प्रस्ताव विभागीय मुख्यालय में स्वीकृति हेतु लम्बित है;	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–1193/रा०, दिनांक–23.11.2019 के द्वारा गोड्डर विधानसभा क्षेत्र के गोड्डा अंचल अंतर्गत मौजा–धरमुडीह, थाना नं०–520, खाता नं०–87, दाग नं०–1152, रकबा–4.00 एकड़, किस्म–गोचर भूमि पर नए स्टेडियम निर्माण हेतु एवं पत्रांक–775, दिनांक–11.07.22 द्वारा पथरगामा प्रखण्ड अंतर्गत मौजा–चुनाकोठी, थाना नं०–252, खाता सं०–65, दाग नं०–21, कुल रकबा–10.66 एकड़, किस्म–परती कदीम भूमि पर स्टेडियम निर्माण हेतु मात्र भूमि विवरणी एवं ट्रेश नक्शा उपलब्ध कराया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष खण्ड–1 में वर्णित स्टेडियम एवं आउटडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–508, दिनांक–10.03.2022 के माध्यम से उपायुक्त, गोड्डा से गोड्डा जिलान्तर्गत गोड्डा, पथरगामा एवं महागामा प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण के संबंध में तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन एवं समंतव्य प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–38/2023 524 / राँची, दिनांक 11.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–887/वि०स०, दिनांक–02.03.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.03.23
सरकार के संयुक्त सचिव

(263)

780
12/03/2023

डॉ. इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–16 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के जामताड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत चेगाईडीह उर्दू मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव, उपायुक्त, जामताड़ा के द्वारा निदेशक, स्कूली शिक्षा को भेजा गया है;	स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 05 कि०मी० की परिधि तथा 5000 की आबादी पर एक माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित है। तत्संबंधी अधिसूचना सं.– 2748 दिनांक 18.11.2008 में निर्धारित शर्तों के आलोक में प्रखण्ड स्तर पर अवस्थित सभी प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के आलोक में आवश्यकता का आकलन कर अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु निदेशालीय पत्रांक– 251 दिनांक 05.02.2021 प्रेषित है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा जिला स्तर पर उत्क्रमण हेतु गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में उच्च विद्यालय में उत्क्रमण का प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया गया था, जिसमें MS CHENGAIDIH URDU (UDISE Code-20191105702) के उत्क्रमण की अनुशंसा नहीं की गयी है। जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार MS CHENGAIDIH URDU (UDISE Code-20191105702) में 22 बच्चे नामांकित हैं। इस विद्यालय से 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित UMS CHENGAIDIH (UDISE Code- 20191105701), में नामांकित छात्रों की संख्या–118 है, को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की अनुशंसा जिला समिति/विभागीय समिति द्वारा की गयी है, जो सम्प्रति विचाराधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति आबादी अत्यधिक संख्या में है तथा वहाँ हाईस्कूल नहीं रहने के कारण उस स्थान के बच्चे–बच्चियाँ हाई स्कूल की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं एवं लोगों को कठिनाईयों का सामना उनके बच्चे–बच्चियों की शिक्षा के लिए करना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि चेंगाईडीह ग्राम से उत्क्रमित उ0वि0 सोनाबाद की दूरी लगभग 4 कि0मी0 है तथा लगभग 4 कि0मी0 की दूरी पर चेंगाईडीह पंचायत के अंतर्गत उच्च विद्यालय धोबना (प्रस्वीकृति प्राप्त) अवस्थित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चेगाईडीह उर्दू मध्य विद्यालय को अविलम्ब उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 एवं 2 में उत्तर सन्निहित है।

विभाग
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–64 / 2023 766 राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23

सरकार के अवर सचिव।

(264)

श्री लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० ट–13 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत तेनुघाट डेम एवं कोनार डेम को पतरातु डेम की भांति अबतक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत लुगु बुरु, सेवाती घाटी, मृगखोह, तिरला धाम, दुर्गापुर पहाड़ी एवं राम लखन टुंगरी को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित करते हुए अबतक विकसित नहीं किया गया है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित करते हुए विकसित कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	3.	लुगुबुरू–श्रेणी A, तेनुघाट डैम–श्रेणी B, कोनार डैम–श्रेणी C, सेवाती घाटी–श्रेणी D तथा मृगखोह–श्रेणी D का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। अधिसूचित पर्यटक स्थलों पर आवश्यक पर्यटकीय विकास हेतु विभागीय पत्रांक 420, दिनांक 27.02.2023 द्वारा उपायुक्त, बोकारो से प्रस्ताव व प्राक्कलन माँगा गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता के अनुरूप आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। प्रश्न में उल्लेखित अन्य स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। उक्त पत्र द्वारा प्रश्न में उल्लेखित अन्य स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु भी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, बोकारो को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/14/2023.....483...../राँची, दिनांक.....04-03-2023.....

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–239/वि०स०, दिनांक–23/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(265)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–32 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है मैक्लुस्कीगंज विश्व का प्रथम एंग्लोइंडियन ग्राम है ;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** मैक्लुस्कीगंज झारखण्ड में एकमात्र एंग्लोइंडियन ग्राम है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य पर्यटन विभाग द्वारा इस ग्राम में टुरिज्म इन्फोरमेशन सेन्टर (TIC) की स्थापना कुछ वर्ष पूर्व हुई है और निजी संस्था को चलाने हेतु दिया गया है जो अभी कार्यरत है ;	2.	**स्वीकारात्मक**
3.	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज को झारखण्ड राज्य के पर्यटन मानचित्र में इस ग्राम का नाम अंकित नहीं है ;	3.	**अस्वीकारात्मक**
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज को पर्यटकीय मानचित्र पर अंकित कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	विभाग द्वारा मैक्लुस्कीगंज श्रेणी B (राष्ट्रीय महत्व) का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। यहाँ विभाग द्वारा एक पर्यटक सूचना केन्द्र निर्मित है जिसमें रेस्तराँ एवं आवासन की भी सुविधा उपलब्ध है। इसका संचालन झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा निजी संस्थान के माध्यम से कराया जा रहा है। विभाग द्वारा झारखण्ड पर्यटन के प्रचार–प्रसार हेतु प्रचार सामग्री यथा पंफलेट व झारखण्ड के पर्यटन मैप में अन्य प्रमुख पर्यटक स्थलों के साथ मैक्लुस्कीगंज भी दर्ज है। इस स्थल का प्रचार–प्रसार विभागीय वेबसाईट व सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०–39/2023 534 /राँची, दिनांक 13.03.2023

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–885/वि०स० दिनांक–02/03/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र.

266

789
12/03/2023

श्री भूषण बाड़ा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–49

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों को सेवा अनुमोदन की प्रक्रिया विगत तीन वर्षो से स्थगित है, जिस वजह से सिमडेगा जिला के उक्त 13 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के 20 शिक्षकों की सेवा का अनुमोदन अब तक लम्बित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची के पत्रांक–1112 दिनांक–08.02.2016 के द्वारा समूह 'ख' (अराजपत्रित), समूह 'ग' तथा समूह 'घ' एवं समकक्ष पदों पर नियुक्तियों में साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा की व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है, किन्तु अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समितियों के द्वारा सहायक शिक्षक की नियुक्ति में साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा आधारित प्रावधान रखा गया है, फलतः उनमें नवनियुक्त सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन में कठिनाई उत्पन्न हुई है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची से परामर्श, जिसमें प्राप्त अनुशंसा को वापस किये जाने की तिथि, दिनांक 16.04.2020 तक प्राप्त मामले में प्रबंध समितियों के द्वारा सहायक शिक्षक की नियुक्ति में साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा लिये जाने के मामले को शिथिल रखते हुए उन पर विचार किये जाने के आलोक में नियुक्ति अनुमोदन की कार्रवाई की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक–381 दिनांक 10.03.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2021 में प्रेषित 06 तथा वर्ष 2022 में प्रेषित 16 शिक्षक/शिक्षिकाओं के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव में से वर्ष 2022 के 04 प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है तथा वर्तमान में 18 शिक्षक/शिक्षिकाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव लंबित है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा अनुमोदन के अभाव में शिक्षकगण नियमित वेतन पाने से वंचित हैं, जिस कारण शिक्षकों के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति प्रबंध समिति द्वारा किये जाने के फलस्वरूप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के स्तर से नियुक्ति का अनुमोदन के पश्चात् हीं विद्यालय में योगदान कराने का दिशानिदेश निदेशालीय पत्रांक–1443 दिनांक–23.10.2021 द्वारा निर्गत है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित विद्यालयों के शिक्षकों को नियमित वेतन नहीं मिलने से पठन–पाठन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है;	इस खण्ड का उत्तर कंडिका 2 में निहित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिमडेगा जिला सहित राज्य भर के अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों की सेवा का अनुमोदन शीघ्रातिशीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निदेशालय स्तर पर इस संबंध में अगली बैठक अथवा अधिकतम 03 माह में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

विकास
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–100 / 2023 789 रॉंची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(267)

775
12/03/2023

श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–44
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत टुंडी वनांचल कॉलेज गिरिडीह में दो हजार छात्र–छात्राएं अध्ययनरत हैं;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक–498 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार कक्षा–11वीं–306 तथा कक्षा–12वीं–378, कुल–684 छात्र–छात्राऐं अध्ययनरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को डिग्री स्तर की पढ़ाई हेतु बाहर जाना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। गिरिडीह जिला मुख्यालय में रामकृष्णा महिला महाविद्यालय एवं गिरिडीह महाविद्यालय, गिरिडीह संचालित है, जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेज में डिग्री की आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है;	वस्तुतः कुल–7.19 एकड़ जमीन महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड (तत्कालीन बिहार) के नाम से दान पत्र केवाला है, जिसमें से 3.78 एकड़ जमीन इंटरमीडिएट स्तर के लिए अधिकृत है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र–छात्राओं के हित में वनांचल कॉलेज को डिग्री स्तर की पढ़ाई हेतु आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर डिग्री स्तर की पढ़ाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	डिग्री स्तर का कॉलेज खोलने एवं संचालन का कार्य उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के क्षेत्रान्तर्गत आता है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार के पत्रांक–614 दिनांक 06.03.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत टुण्डी वनांचल कॉलेज, गिरिडीह, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से संबंधित नहीं है।

विभाग
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–97/2023.....775..... राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभाग
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

(268)

781
12/03/2023

श्री चन्देश्वर प्रसाद सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–43

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्त के संकल्प 1965 दिनांक 02.06.2017 के द्वारा शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को 28000/– का भुगतान किया जा रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभाग के संकल्प सं. 1965 दिनांक 02.06.2017 एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1078 दिनांक 05.07.2017 के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अन्तर्गत कार्यरत 05 कम्प्यूटर ऑपरेटरों को भी एकमुश्त रु. 28000/– प्रति माह का भुगतान दिनांक 01.04.2017 से किया जा रहा था।
2.	क्या यह बात सही है कि माध्यमिक शिक्षा में 10 वर्षो से कार्यरत ऑपरेटरो को आदेश सं. 1078 दिनांक 05.07.2017 द्वारा दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.04.2019 तक 28000/– रुपये की एकमुश्त राशि प्राप्त करते आ रहे हैं, को पत्रांक 517 दिनांक 05.03.2020 द्वारा कोरोना काल में कम कर 17600/– दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 517 दिनांक 05.03.2020 द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची से प्राप्त परामर्श में 05 कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति में योजना–सह–वित्त विभाग के पत्रांक 4569 दिनांक 05.07.2002 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1965 दिनांक 02.06.2017 के आलोक में मासिक पारिश्रमिकी रु. 28000/– के भुगतान की सहमति नहीं दिये जाने के फलस्वरूप जैप आई.टी. के पत्रांक 604 दिनांक 07.03.2019 द्वारा डेटा इंट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु मासिक पारिश्रमिकी रु. 17600/– के आधार पर वेतन भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (2) में वर्णित राशि 28000/– दिया जा रहा था, तो एक ही विभाग (मु0) एवं प्रा0 शिक्षा के समरूप कार्यरत ऑपरेटरों को 17600/– का भुगतान किया जाना नैसर्गिक न्याय है;	उपर्युक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है। वस्तुस्थिति यह है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मुख्यालय एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर समरूप कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को पूर्ववत मासिक पारिश्रमिकी रु. 28000/– का भुगतान किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संकल्प संख्या–1965 दिनांक 02.06.2017 के आलोक में खण्ड (2) में वर्णित कम्प्यूटर ऑपरेटरों को 28000/– देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संबंधित मामले में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्श की मांग की गयी थी, जो तकनीकि आधार पर लंबित है। उनसे पुनः विभाग में कार्यरत सभी आवश्कता के आधार पर रखे गये समरूप कम्प्यूटर ऑपरेटरों के सापेक्ष परामर्श उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशित किया गया है, ताकि तद्नुरूप निर्णय लिया जाय।

विकास
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–74/2023.....781..... राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विकास
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

269

221
13/03/2023

श्री केदार हजरा , मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–48		
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चितरडीह में +2 की पढ़ाई नहीं होती है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में निहित विद्यालय को विभागीय पत्रांक–1989 दिनांक 15.09.2006 में ही उत्क्रमण कर उच्च विद्यालय की मान्यता दी गई है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में अंकित विद्यालय में 9वीं. तथा 10वीं के कुल 481 छात्र अध्ययनरत हैं;	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित विद्यालय के अलग–बगल करीब 6 पंचायत जैसे, बलगों, चितरडीह, धर्मपुर, कारोडीह, वेरहाबाद तथा मेढ़ो चरखो पंचायतों के करीब छात्र–छात्राओं को +2 की पढ़ाई के लिए करीब 20 कि.मी. की दूरी तय करना पड़ता है, जिसके कारण खासकर गरीब छात्र–छात्राओं का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चितरडीह से 12 कि0मी0 की दूरी पर +2 उच्च विद्यालय, चरघरा, 15 कि0मी0 की दूरी पर लंगटा बाबा +2 उच्च विद्यालय, मिर्जागंज एवं 16 कि0मी0 की दूरी पर +2 उच्च विद्यालय नवडीहा संचालित है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चितरडीह में +2 की पढ़ाई प्रारम्भ कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 3155 दिनांक 14.12.2022 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह से उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चितरडीह, जमुआ, गिरिडीह का +2 उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमण हेतु जिला स्तर पर गठित समिति के माध्यम से सर्वेक्षण कराकर निदेशालीय पत्रांक 2313 दिनांक 29.08.2022 के विहित प्रपत्र में विधिवत प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। प्रस्ताव सम्प्रति अप्राप्त है। जिला से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर +2 विद्यालयों में उत्क्रमण की अनुशंसा करने हेतु गठित समिति (आदेश संख्या–720 दिनांक 04.03.2023) द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप आवश्यक निर्णय लिया जाना है।

ह0/- 12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–99 / 2023 223 रॉंची, दिनांक 13/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

270

766
12/03/2023

श्री रामदास सोरेन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–36

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत गुड़ाबन्दा प्रखण्ड स्थित ज्वालकाटा पंचायत में मिलन विथि उच्च विद्यालय अवस्थित है, जहाँ अनु0 जनजाति छात्रों के लिए छात्रावास भी निर्मित है;	स्वीकारात्मक। इस विद्यालय में कल्याण विभाग द्वारा अनु. जनजाति छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्ड पूर्ण रूप से अनु0 जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ–साथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है;	आंशिक स्वीकारात्मक। संबंधित प्रखण्ड अनु0 जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विद्यालय में चहारदिवारी नहीं होने के साथ–साथ कई मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण उक्त विद्यालय में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा परीक्षा केन्द्र नहीं बनाई जाती है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र के छात्रों को दूर–दराज के परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने को बाध्य होना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक विद्यालय का यू–डायस कोड– 20181101302 है। विद्यालय में 10 वर्गकक्ष तथा 6 अन्य कमरें उपलब्ध हैं। प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कक्ष उपलब्ध है। विद्यालय में शौचालय, पेयजल, विद्युत तथा बेंच–डेस्क की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय का कुल नामांकन 430 है। विद्यालय में चहारदीवारी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में चहारदीवारी के लिए राशि उपलब्ध नहीं है। सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के पत्रांक– D.O. No. 21-8/2022-IS9 दिनांक 30.12.2022 तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के सचिवों के संयुक्त पत्रांक F.No.-21-8/2022-IS-9-Part (I) दिनांक 19.12.2022 द्वारा विद्यालयों के बुनियादी आधारभूत संरचना को पूरा करने हेतु जिले में 15वीं वित्त आयोग, मनरेगा तथा DMFT में उपलब्ध निधि का उपयोग करते हुए पूरा करने का निदेश दिया गया है। भारत सरकार के इस पत्र के आलोक में जिले के विद्यालयों में यू–डायस 2021–22 के आधार पर पायी गई बुनियादी आधारभूत संरचनाओं की कमियों को पूरा करने हेतु सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के स्तर से DMFT में उपलब्ध निधि से जिले के सरकारी विद्यालयों में चहारदीवारी सहित अन्य बुनियादी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के संबंध में पत्रांक JEPC/CIV/03/767/ 2022/106 दिनांक 11.01.2023 द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला सहित सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र निर्गत किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित विद्यालय में सभी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करते हुए उक्त विद्यालय में चाहर दिवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है।

ह0/- 12/3/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–64 / 2023 766 राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23

सरकार के अवर सचिव।

271

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री ढुलू महतो, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि–30

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड प्राथमिक शिक्षकों द्वारा वेतन विसंगति अंतर जिला स्थानांतरण एम.ए.सी.पी. की स्वीकृति शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति आदि की लगातार मांग करते रहे है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660 वि. दिनांक 28.02.2009 की कंडिका–8(1) (B) के Note–1 में निहित प्रावधान के अनुरूप वेतन निर्धारण अनुमान्य है। इन्हें ग्रेड वेतनमान के तहत प्रोन्नति दी जाती है। प्रारंभिक शिक्षकों के प्रोन्नति पर निर्णय लेने हेतु जिला शिक्षा स्थापना समिति सक्षम प्राधिकार है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में प्रोन्नति से संबंधित दायर वादों का निष्पादन जिला शिक्षा स्थापना समिति की माध्यम से करने का आदेश विभागीय पत्रांक 936 (विधि) दिनांक 14.11.2022 द्वारा सभी उपायुक्त एवं सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया जा चुका है। प्राथमिक शिक्षकों को ए.सी.पी./एम. ए.सी.पी. की सुविधा देय नहीं है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संकल्प संख्या 2093 दिनांक 06.08.2019 के प्रावधानों के तहत शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत किया जाना है। इस हेतु टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विभागीय पत्रांक 2760 दिनांक 07.12.2022 एवं मुख्य सचिव का पत्रांक 893 दिनांक 15.04.2015 द्वारा सभी जिलों के उपायुक्त को गैर–शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने का निदेश दिया जा चुका है।
2	क्या यह बात सह है कि दिनांक 01.01.2006 के छठे वेतनमान में विसंगतियों को दूर करने हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2623 दिनांक 01.10.2019 के आलोक में निम्नवत् प्रारंभिक वेतन 16290 किया जाना है जो अभी	वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660 वि. दिनांक 28.02.2009 की कंडिका–8(1) (B) के Note–1 में निहित प्रावधान के अनुरूप प्राथमिक शिक्षकों को अनुमान्य वेतन दिया जा रहा है।

Khurshid

	तक नहीं किया गया है;	वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2623/वि. दिनांक 01.10.2019 द्वारा छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिपेक्ष्य में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व से पदस्थापित झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक/नीजि सहायक के मूल कोटि के कर्मियों के वेतन निर्धारण हेतु न्यूनतम वेतन 18460 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह वेतनमान जिले में पदस्थापित प्राथमिक शिक्षकों के मामलों में लागू नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक लिपकीय कार्यों की अतिरिक्त बोझ दिया जाता है, जिससे पठन-पाठन प्रभावित होता है;	राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में लिपिक का पद सृजित नहीं रहने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 2144 दिनांक 02.11.2021 द्वारा शैक्षणिक अवधि (पूर्वाह्न 09 बजे से अपराह्न 03 बजे तक) के उपरांत एक घंटे तक अर्थात संध्या 04 बजे तक शिक्षकों द्वारा विद्यालय के लिपिकीय कार्य को निष्पादित करने का आदेश संसूचित है। शैक्षणिक अवधि के उपरांत शिक्षकों द्वारा दैनिक लिपिकीय कार्य संपादित किये जाने से शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होता है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों के वेतन विसंगति स्थानांतरण एम.ए.सी.पी. की स्वीकृति एवं गैर-शैक्षणिक कार्यो से मुक्ति जैसे मांगों का निराकरण करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।

13/3/23

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2-110/2023...398..../राँची, दिनांक 13-3-....2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-584 दिनांक 26.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/23

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

272

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–सूई–01 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र.	अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि JAP-IT के द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों में Man Power Supply हेतु Placement Agency का चयन कर Service Provider किया जाता है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** JAP-IT द्वारा तकनीकी मानवबल उपलब्ध कराने हेतु Agency का empanelment किया गया है। सरकारी विभागों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों द्वारा स्वैच्छिक रूप से सीधे तौर पर इन empaneled एजेंसी से मानवबल प्राप्त करने का एक विकल्प है।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित JAP-IT द्वारा 17 Agency का चयन 2021–22 में किया गया है;	**अस्वीकारात्मक।** JAP-IT द्वारा तकनीकी मानवबल उपलब्ध कराने हेतु 2021–22 में कुल चौदह (14) Agency का Empanelment किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित Agency द्वारा न तो आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जा रहा है और न ही राज्य के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दे रहे हैं तथा मानदेय में भारी अनियमितता बरती जा रही है;	Empanelled agencies निजी संस्थान/कंपनी की श्रेणी में आते हैं। एकरारनामा के अनुसार, सरकारी कार्यालयों में उक्त एजेंसी के माध्यम से मानवबल लेने हेतु चयन की प्रक्रिया संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा किये जाने का प्रावधान है तथा चयनित उम्मीदवारों को विभाग/कार्यालय के आदेशानुसार, Agency द्वारा अपने Pay-Roll पर नियुक्त कर संबंधित कार्यालय को प्रदान किये जाने का प्रावधान है। मानवबल को निर्धारित मानदेय का नियमित भुगतान की प्रक्रिया संबंधित विभाग/कार्यालय एवं एजेंसी के द्वारा किये जाने का प्रावधान है। मानदेय में अनियमितता का शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा एजेंसी पर कार्रवाई किया जा सकता है तथा विभाग/कार्यालय से प्राप्त सत्यापित शिकायत पर JAP-IT द्वारा नियमानुकूल अन्य कार्रवाई किये जाने का भी प्रावधान है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपर्युक्त खण्डों में वर्णित विषय के आलोक में कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त खण्ड तीन में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

ज्ञापांक : ITSec2/Vidha-Prshn-05/2023/IT – 393 रांची, दिनांक : 02.03.2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0प्र0–235, दिनांक 23.02.2023 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार पोद्दार)
अवर सचिव।
02/03/23

D:\Vidhansabha Q\SI.

(273)

792
12/03/2023

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–33

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पत्र सं. 4241 दिनांक 22.02.2006 के द्वारा राज्य के 9 मध्य विद्यालयों का उत्क्रमण उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के रूप में किया गया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या– 4241 दिनांक 22.02.2006 के द्वारा ज्ञान गंगा योजना के अन्तर्गत राज्य के 09 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2006–07, पत्र सं. 1989 दिनांक 15.09. 2006 के द्वारा राज्य के 329 मध्य विद्यालयों का उत्क्रमण उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के रूप में किया गया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या– 1989 दिनांक 15.09.2006 द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत् राज्य के 329 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पत्रांक–JAC/TGT/PR/5897/CC/54/15 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा 338 नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में योजना मद में नियुक्त शिक्षकों को गैर–योजना मद में परिवर्तित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–4925 दिनांक 31.07.2002 की कंडिका–4 में अंकित है कि जिन पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित किया जाना है, उनमें तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से रिक्त चले आ रहे पदों को तत्काल सुसुप्तावस्था में रखा जाय और कार्यरत तथा उपयोगी पदों को ही गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाय। साथ ही यह भी अंकित है कि विभाग सुसप्तावस्था में रखे जाने वाले पद की जब उपयोगिता महसूस करेंगे, तो इस आश्य का प्रस्ताव वे प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और समिति के निर्णय के अनुरूप पद को जागृत कर ही उसे भरने की कार्रवाई करेंगे। उक्त के आलोक में योजना मद के पदों को गैर–योजना मद में स्थानांतरित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

ह0/– 12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–62/2023 792 राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

(274)

श्री सुदेश कुमार महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–38 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के सिल्ली में कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग द्वारा कला केन्द्र का निर्माण पिछले 10–12 वर्षो से किया जा रहा है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्डी कला, संस्कृति के विकास, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु इस कला केन्द्र का शीघ्र निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है,?	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राँची जिलों के सिल्ली में कला केन्द्र का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	वित्तीय वर्ष 2011–12 में राँची जिलान्तर्गत सिल्ली में कला एवं सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु कुल ₹5,29,33,100/– की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए समय–समय पर राशि आवंटित की गई थी। तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजना की पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान करते हुए अद्यावधि संपूर्ण राशि ₹7,22,15,600/– उपायुक्त, राँची को आवंटित किया जा चुका है। विषयांकित योजना का कार्यान्वयन उपायुक्त, राँची के माध्यम से जिला परिषद, राँची द्वारा कराया जा रहा है। योजना कार्यान्वयन में अनियमित्ता की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय पत्रांक–194, दिनांक 25.06.2019 के द्वारा उपायुक्त, राँची को योजना में कथित रूप से लापरवाही की जाँच कर उत्तरदायी पदाधिकारी/कर्मचारी तथा संवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई करने तथा योजना निर्माण कार्य अविलम्ब पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही समय–समय पर विभागीय पत्रों के माध्यम से उपायुक्त, राँची को भवन निर्माण अविलम्ब पूर्ण करने हेतु स्मारित किया गया है। उपायुक्त, राँची के पत्रांक–496, दिनांक 10.03.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक को भुगतेय राशि का भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही यह भी सूचना दी गई है कि राशि भुगतान के उपरांत संवेदक द्वारा योजना कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/42/2023 532 /राँची, दिनांक 13.03.2023

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1000/वि०स०, दिनांक–05/03/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जेतेन्द्र

(275)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–31 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक आलोक प्रसाद की बहाली नियमित प्रक्रिया से नहीं हुई थी ;	1.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के कार्यालय आदेश सं०–88/88–सह–ज्ञापांक–1330/88 द्वय दिनांक–30.07.88 के द्वारा श्री आलोक प्रसाद एवं अन्य दो लोगों की नियुक्ति पर्यटन निगम के अन्तर्गत वेतनमान ₹785–25–1135–द०रो० 25–1210 में व्यवस्थापक, पर्यटक बंगला के रिक्त अनारक्षित पद पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के द्वारा आयोजित साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की गयी थी।
2.	क्या यह बात सही है कि आलोक प्रसाद की बहाली अस्थायी तौर पर हुई थी ;	2.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के कार्यालय आदेश सं०–88/88–सह–ज्ञापांक–1330/88 द्वय दिनांक–30.07.88 के कंडिका संख्या–ख में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि "यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है और बिना कारण बताएँ सेवा समाप्त की जा सकती है"। विदित हो कि किसी भी सरकारी कर्मी नियुक्ति अस्थायी रूप से ही की जाती है एवं सेवा सम्पुष्टि के उपरांत ही उक्त कर्मी स्थायी होता है।
3.	क्या यह बात सही है कि आलोक कुमार की मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण–पत्र गलत है ;	3.	श्री आलोक प्रसाद की नियुक्ति बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के द्वारा वर्ष 1988 में की गयी थी। श्री आलोक प्रसाद द्वारा नियुक्ति के समय समर्पित किये गये मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण–पत्र का सत्यापन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के द्वारा करायी गयी है या नहीं से संबंधित प्रमाण झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०, राँची में उपलब्ध नहीं है।
4.	क्या यह बात सही है कि आलोक कुमार प्रसाद पीएचडी की डिग्री लेने से पहले पीएचडी की संज्ञा अपने नाम के साथ इस्तेमान कर रहे है ;	4.	श्री आलोक प्रसाद द्वारा अगस्त 2001 में मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने का साक्ष्य उपलब्ध है। श्री आलोक प्रसाद द्वारा डॉ० का इस्तेमाल उपाधी प्राप्त करने से पहले की जा रही है से संबंधित मामला संज्ञान में नहीं है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस विषय पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	5.	विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–71–सह–पठित ज्ञापांक–995, दिनांक–20.06.2022 द्वारा श्री आलोक प्रसाद, महाप्रबंधक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०, राँची के विरूद्ध प्राप्त परिवादों में उल्लेखित मामले (फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर पदोन्नति का मामला भी शामिल है) की जाँच हेतु निदेशक, क्रीड़ा निदेशालय, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में जाँच समिति

जितेन्द्र

			का गठन किया गया है। उक्त समिति को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–03–सह–पठित ज्ञापांक–65, दिनांक–06.01.2023 द्वारा पुर्नगठित करते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध प्राप्त सभी परिवादों में अंकित तथ्यों की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स०–37 / 2023 531 / राँची, दिनांक 13.03.2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–886 / वि०स०, दिनांक–02 / 03 / 2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

276

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री कोचे मुण्डा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या शि–08

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि कर्रा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत उड़ीकेल में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चांपी का विद्यालय भवन जर्जर स्थिति में है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति होने के कारण छोटे–छोटे बच्चे भवन से बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस भवन का नव निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि खूँटी जिला के कर्रा प्रखंड के ग्राम पंचायत उड़ीकेल में अवस्थित एवं संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय चांपी के विद्यालय भवन में कुल सात (07) वर्ग कक्ष हैं एवं सभी वर्ग कक्ष अच्छी स्थिति में हैं। उक्त विद्यालय में नामांकित 205 विद्यार्थी वर्ग कक्ष में बैठ कर शिक्षा ग्रहण करते हैं।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक :16 / वि.2–75 / 2023 396 / राँची, दिनांक 13-3- 2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–102 दिनांक 21.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

277

श्री भानु प्रताप शाही, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–04 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम–झगड़ाखाड़ में डिग्री कॉलेज बन कर तैयार है;	अस्वीकारात्मक। डिग्री महाविद्यालय, भवनाथपुर के भवन का कार्य 85% पूर्ण हुआ है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त डिग्री कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने के चलते क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जगह जाना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। बी0एस0एम0 महाविद्यालय (संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय), भवनाथपुर संचालित है, जहाँ छात्र–छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर रहे है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रहित को ध्यान में रखते हुए तत्काल उक्त डिग्री कॉलेज में पढ़ाई चालू कराने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 तथा 2 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–15 / 2023 638 / रॉची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–106 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

278

श्री दिनेश विलियम मरांडी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–15 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हिरणपुर प्रखण्ड में धरनी पहाड़ पर एक प्राचीन मंदिर अवस्थित है, जहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालू पूजा अर्चना करने जाते हैं,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि मंदिर पहाड़ के शीर्ष में होने के कारण लोगों को वहाँ तक पहुँचने में अत्यंत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक सिढ़ी का निर्माण कराया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि पहाड़ के तलहट्टी से शीर्ष तक किसी प्रकार की बिजली व पानी की व्यवस्था नहीं है,	3.	आंशिक स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त धरनी पहाड़ को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	प्रश्नाधीन सभी स्थल श्रेणी 'D' का पर्यटन स्थल अधिसूचित है। यहाँ आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास/पर्यटकीय विकास हेतु विभागीय पत्रांक 429, दिनांक 28.02.2023 द्वारा उपायुक्त, पाकुड़ से प्रस्ताव व प्राक्कलन माँगा गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता के अनुरूप आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/22/2023 482 /राँची, दिनांक 04-03-2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–487/वि०स०, दिनांक–25/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

श्री राज सिन्हा, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–14.03.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–19 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री राज सिन्हा, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के लिए खेल चुके खिलाड़ियों एवं खेल प्रशिक्षकों और आर्थिक तौर पर विपन्न खिलाड़ियों को खिलाड़ी सहायता कल्याण कोष से सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है;	**स्वीकारात्मक।**
2	क्या यह बात सही है कि इस कोष से 2020–21 से 2022–23 की अवधि में कई पूर्व खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों को लाभान्वित किया गया है;	**स्वीकारात्मक।** खिलाड़ी कल्याण कोष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक की अवधि में कुल 23 (तेईस) खिलाड़ियों/पूर्व खिलाड़ियों/खिलाड़ियों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गई है।
3	क्या यह बात सही है कि अनुबंध या संविदा पर खेल विभाग में सेवा दे चुके या दे रहे (डे–बोर्डिंग सेंटर, आवासीय खेल सेंटर) खेल प्रशिक्षकों के मानदेय में पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2019–20, 2020–21, 2021–22) में वृद्धि नहीं की गयी है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** डे–बोर्डिंग एवं आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत प्रशिक्षकों को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–914, दिनांक–03.09.2020 के आलोक में दिनांक 01.04.2021 से रू० 13,184.60/– तथा अधिसूचना संख्या–1212, दिनांक–20.10.2021 के आलोक में दिनांक–01.10.2021 से रू० 14.038.41/– का भुगतान किया जा रहा है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या–422/वि० दिनांक–18.02.2022 द्वारा संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को देय महँगाई भत्ता में अभिवृद्धि की गई है। तदालोक में क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों में संविदा पर कार्यरत प्रशिक्षकों के संविदा राशि में वृद्धि हेतु मामला प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस कोष से खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों को अधिक से अधिक लाभ तथा मानदेय में वृद्धि कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उत्तर कंडिका 1, 2 एवं 3 में अन्तर्निहित है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–25/2023 ...515..... / राँची, दिनांक ...10.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–492/वि०स०, दिनांक–25.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

(280)

767
12/03/2023

श्री नलिन सोरेन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–32 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला स्थित प्रखण्ड–काठी–कुण्ड अंतर्गत नारंगज उच्च विद्यालय, काठीकुण्ड से 10 कि.मी. सुदूरवर्ती ग्रामीण तथा पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बनाया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अंतर्गत विद्यालयों के उत्क्रमण हेतु कार्रवाई की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त उच्च विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षकों के स्वीकृत पदों में एक मात्र शिक्षक पदस्थापित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त विद्यालय में दो शिक्षक पदस्थापित हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि स्वीकृत पदो के अनुरूप शिक्षकों के नहीं रहने के कारण तथा एक मात्र शिक्षक से उच्च विद्यालय का संचालन होने से छात्र–छात्राओं का पठन–पाठन सही तरीके से नहीं हो रहा है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2016 में राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अधियाचित शेष रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्रवाई हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2022 को सोनी कुमारी वाद से उदभूत अवमाननावाद मामले में पारित आदेश के आलोक में राज्य मेधा सूची के आधार पर अनुशंसा सूची उपलब्ध कराये जाने की कार्रवाई झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त उच्च विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका–3 में सन्निहित है।

विजय 12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–63/2023 767 राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विजय 12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

281

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–15 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के अधिकांश लोग जंगलों के अन्दर एवं आस–पास इलाकों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग निवास करते है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग अपने–अपने विवाह से संबंधित, सांस्कृतिक कार्यक्रम में एवं त्योहारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नये पेड़ (तोम्बा) एवं पेड़ों के डालियों का झमड़ा बनाते है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के जंगली क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं मूलवासी किसानों के द्वारा अपने धान के पुआलों को अपने बैल को चारा के रूप में खिलाने के लिए उसे सुरक्षित ढंग से रखने के लिए लकडियों का माचा बना कर रखते है ;	स्वीकारात्मक।
4. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त खण्ड–02 एवं 03 में अंकित किये गये कार्यो के लिए प्रतिवर्ष जंगलों के सभी क्षेत्रों को मिलाकर हजारों नये पेड़ (तोया) काटे जाते है;	विवाह आदि कार्यक्रम हेतु झमड़ा बनाने की प्रथा में काफी कमी आई है। झमड़ा एवं माचा बनाने में पुराने बल्लियों एवं बाँस का भी प्रयोग किया जाता है। गाँव के आस–पास निजी भूमि एवं गैर–मजरूआ भूमि से भी लकड़ियों की आपूर्ति की जाती है। खण्ड–2 एवं खण्ड–3 में अंकित कार्यों के लिये प्रतिवर्ष हजारों नये पेड़ काटे जाने की बात सही नहीं है।
यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जंगलों से हजारों हजार नये पेड़ों के काटे जाने से बचाने के लिए आदिवासी विवाह एवं त्योहारों के लिए झमड़ा के बदले टेन्ट एवं सिमेन्ट का स्थाई माचा बनाने में सहयोग देने का भविष्य में कोई योजना बनाना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	आदिवासी विवाह एवं त्योहारों के लिए झमड़ा के बदले टेन्ट एवं सिमेन्ट का स्थाई माचा बनाने में सहयोग देने की योजना सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–32/2023–914 व0प0, दिनांक–13/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–624, दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(282)

श्री सुखराम उराँव, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–14.03.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–36 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री सुखराम उराँव, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में पोड़ाहाट स्टेडियम है, जो जर्जरावस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पोड़ाहाट स्टेडियम जर्जर होने के साथ–साथ वहाँ शौचालय, चेंजिंग रूम तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जिस कारण खिलाड़ियों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खिलाड़ियों के मनोबल को बनाये रखने तथा खेल को प्राथमिकता देते हुए पोड़ाहाट स्टेडियम के जीर्णोद्धार तथा मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–507, दिनांक–10.03.2023 द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर के पोड़ाहाट में स्थित स्टेडियम के जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन एवं समंतव्य प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईवासा से अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–44/2023 523/ राँची, दिनांक 11-03-2023

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–947/वि०स०, दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

(283)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि–23

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार की अनुशांगिक इकाई सी.सी.एल. द्वारा विस्थापित एवं प्रभावित क्षेत्रों में छात्र–छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने हेतु विद्यालयों महाविद्यालयों को संचालित की जाती है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सी.सी.एल. द्वारा रामगढ़ जिला के माण्डू प्रखंड में श्रमिक मध्य विद्यालय तोपा (कुजू) वर्ष 1976 से श्रम कल्याण कोष द्वारा संचालित की गई है जहाँ कार्यरत शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अनुदान दी जाती है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि अनुदान राशि 3 माह से लेकर 6 माह में भुगतान की जाती रही है परन्तु वर्ष 2020–21 से लेकर आज तक राज्य के सभी सी.सी.एल. द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों का अनुदान नहीं दिया गया है जिससे कार्यरत शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सी.सी.एल. द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों के मानदेय का भुगतान अविलंब कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चूँकि विद्यालय का संचालन सी.सी. एल., द्वारा किया जा रहा है। अतः विषयगत मामले राज्य सरकार से संबंधित नहीं है।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 411 **/ राँची, दिनांक** 13/03/ **2023**

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–470 दिनांक 25.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(284)

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० तन–28 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र के कटकमदाग प्रखण्ड में नरसिंह मन्दिर अवस्थित है जहाँ लोगों की काफी आस्था जुड़ी होने के साथ–साथ वहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशाल मेला का आयोजन होती है और हजारों लोग दूर–दराज से मेला देखने आते है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित मेले में सैकड़ों लोगों द्वारा छोटी–छोटी दुकाने लगाई जाती है जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है परन्तु सरकार द्वारा उक्त मेले में लोगों को कोई मूलभूत सुविधाएँ नहीं दी जाती है जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देते हुए उक्त मेले में लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएँ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन स्थल राजकीय मेला के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को राजकीय मेला के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त मेला में आवश्यक सुविधा हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 461 दिनांक 03.03.2023 द्वारा मेला को राजकीय मेला के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त –सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, हजारीबाग को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/34/2023...511.../राँची, दिनांक...10.03.2023...

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–783/वि०स०, दिनांक–01/03/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.03.23
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

285

श्री दीपक बिरूआ, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–15 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जनजातीय बहुल क्षेत्र कोल्हान विश्वविद्यालय मे शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 848 के विरूद्ध मात्र 216 शिक्षक ही कार्यरत है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अन्तर्गत कुल 19 अंगीभूत महाविद्यालय में कुल 724 शिक्षकों के स्वीकृत पद के विरूद्ध 232 शिक्षक कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के साथ–साथ अन्य विषयों के शिक्षकों की भी भारी कमी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि शिक्षकों की कमी के कारण कक्षाएँ नियमित रूप से नहीं हो पाती है तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है;	विश्वविद्यालय के पठन–पाठन कार्यों पर प्रतिकूल असर न पड़े इस हेतु घंटी आधारित शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों के द्वारा पठन–पाठन कार्य कराया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के बेहतर/गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वीकृत रिक्त पदों पर शिक्षकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर शिक्षकों के नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव पर सहमति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को प्रेषित किया गया है। इस प्रकार कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–27/2023 634 / रॉची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–772 दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

286

774
12/03/2023

श्री नलिन सोरेन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–45 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है प्रखंड काठीकुण्ड अन्तर्गत +2 राज्यकृत उच्च बिद्यालय, काठीकुण्ड में स्थित एक मात्र इंटर तक पढ़ाई के लिए विद्यालय है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि +2 राजकीयकृत उच्च विद्यालय काठीकुण्ड के अतिरिक्त, काठीकुण्ड प्रखण्ड में प्रस्वीकृत डॉ0जे0एम0 इंटर महाविद्यालय संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है कि विद्यालय में विज्ञान, भौतिकी शास्त्र, जीव विज्ञान एवं कला विज्ञान में राजनीति शास्त्र की पढ़ाई के लिए शिक्षक पदस्थापित नहीं होने से अनु.जन. जाति से गरीब छात्र/ छात्राएं उपरोक्त विषयों की पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि– (i) +2 विद्यालय काठीकुण्ड में +2 कक्षाओं में विज्ञान के एक शिक्षक, गणित के एक शिक्षक एवं कला विषय (इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र) में तीन शिक्षक पदस्थापित है। (ii) इसी प्रकार माध्यमिक कक्षाओं में जीव/रसायन विज्ञान के एक शिक्षक, गणित/भौतिकी में एक शिक्षक एवं कला विषय में दो शिक्षक कार्यरत हैं। (iii) दुमका सहित राज्य के किसी भी जिले में किसी भी +2 उच्च विद्यालय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक राजनीतिशास्त्र का पद सृजित नहीं है। (iv) राज्य के 510, +2 उच्च विद्यालयों में 11 विषयों– हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, रसायनशास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान, गणित एवं वाणिज्य प्रत्येक के एक–एक पद स्वीकृत है। वर्ष 2021 में उत्क्रमित 125, +2 उच्च विद्यालयों में पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। (v) माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं0– W.P(PIL) No. 3547/2016 के पारित न्यायादेश दिनांक 29.06. 2018 के अनुपालन में गठित समिति की कार्यवाही–सह–अनुशंसा दिनांक 20.09.2021 के आधार पर मानविकी सहित अन्य विषय तथा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के पद सृजन की कार्रवाई छात्र अनुपात में प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–02 में वर्णित विषयों की पढ़ाई के लिए शिक्षकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में सन्निहित है। वस्तुस्थिति यह है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने हेतु विज्ञापन सं. 14/2022 (सीधी नियुक्ति) एवं 15/2022 (बैकलॉग नियुक्ति) के माध्यम से क्रमशः 2855 एवं 265 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, परंतु वैधानिक आधार पर आयोग द्वारा अधियाचना वापस कर दी गयी है। नई नियोजन नीति के क्रम में उक्त 3120 पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को पुनः अधियाचना भेजी जा रही है।

12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–75/2023......774......... राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

287

769
12/03/2023

जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–21 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक 15 जुलाई, 2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में झारखण्ड राज्य में अवस्थित स्नातक स्तरीय घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन ग्रेच्युटि एवं भविष्यनिधि की सुविधा प्रदान करने संबंधी पूर्व निर्गत संकल्प सं. 1470 दिनांक 19.12.2012 एवं संदर्भित परिनियम में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है;	राजकीय अधिसूचना संख्या–129 दिनांक 30.11.1981 द्वारा माध्यमिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति आदि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार वैसे विद्यालय जो प्रस्वीकृति की सभी निर्धारित शर्तें पूर्ण करती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा बिना किसी वित्तीय भार के प्रस्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा को सरकार अधिग्रहित नहीं करेगी आदि, जिससे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची से संबंधित स्थिति स्वतः स्पष्ट है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कंडिका–1 के तर्ज पर राज्य में संचालित स्थापना अनुमति प्राप्त एवं प्रस्वीकृति अनुदानित विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों को भी अधिग्रहण कर वेतनमान् भुगतान अथवा घाटा अनुदान देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य में संचालित स्थापना अनुमति प्राप्त एवं प्रस्वीकृत अनुदानित विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों को भी अधिग्रहण कर वेतनमान् भुगतान अथवा घाटा अनुदान देने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

विभाग
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

झापांक–10 / वि.स.01–42 / 2023.....769..... राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभाग
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

288

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्रीमती सबिता महतो, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि–27

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुकडू प्रखंड में कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं झिमड़ी पंचायत, नीनडीह प्रखंड का आवासीय विद्यालय जो लगभग चार–पाँच वर्षो से बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुकडू प्रखण्ड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित नहीं है इस प्रखण्ड में झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यायल का निर्माण 2021–22 में पूरा हो चुका है ।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय, कुकडू एवं आवासीय विद्यालय, झिमड़ी, नीमडीह से सुचारू नहीं होने से छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन में दिक्कते हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक वर्तमान में झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय कुकडू का संचालन नीमडीह प्रखण्ड के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में संचालित है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं आवासीय विद्यालय में पठन–पाठन इसी सत्र से प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय कुकडू में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत भवन में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के पत्रांक–332 दिनांक 05.03.2023 द्वारा विद्यालय परिसर में 100KVA ट्रांसफारमर अधिष्ठापन करने हेतु संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता को रु0 602385.00 उपलब्ध करायी जा चुकी है। आगामी शैक्षणिक सत्र में झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय कुकडू में छात्राओं के आवासन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराते हुए पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–96/2023.395/राँची, दिनांक 13-3-2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–374 दिनांक 24.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

289

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–01

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत बहरागोड़ा प्रखण्ड के खुंती मौजा में Falak Industries Fuel Pvt. Ltd. नामक एक फैक्ट्री संचालित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। M/s Falak Industries Fuel Pvt. Ltd. नामक इकाई मौजा–छोटा अर्जूना, प्रखण्ड–बहरागोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त फैक्ट्री The National Building Code of India 2016 (NBC) के Administration Regulations, Development Control Rules के साथ–साथ Jharkhand Building Bylaws 2016 का उल्लंघन करते हुए संचालित हैं;	उक्त इकाई के पक्ष में पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद् द्वारा मेमो संख्या–ESZP/BP/0039/2020 दिनांक-09.06.2021 द्वारा Building Permit निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि 13.05.2024 तक है। उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा सूचित किया गया है कि इकाई की ओर से पूर्व अनुमोदित Building Plan को संशोधित करने हेतु दिनांक–12.12.2022 को जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम को आवेदन दिया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उद्धृत फैक्ट्री पर सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त इकाई के पक्ष में निर्गत Building Permit या The National Building Code of India-2016 (NBC) के Administration Regulations, Development Control Rules के साथ–साथ Jharkhand Building Bylaws-2016 का कोई उल्लंघन या विचलन पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–08 / 23 298 / राँची, दिनांक:– 13.03.2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–114 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2023

सरकार के अवर सचिव

290

डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–14.03.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–12 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
डॉ० लम्बोदर महतो, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया विधानसभा क्षेत्र के गोमिया प्रखण्ड में छोटकी सीधावारा/स्वांग में नेहरू मैदान/पेटरवार प्रखण्ड+2 उच्च विद्यालय, पेटरवार के हाई स्कूल मैदान एवं कसमार प्रखण्ड के गांधी मैदान में स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण खेलकूद को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 608 दिनांक 20.04.2012 द्वारा राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक–एक स्टेडियम निर्माण हेतु निर्णय है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में कसमार प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम व 2017–18 में गोमिया प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है जो क्रमशः वर्त्तमान में निर्मित एवं निर्माणाधीन है। पेटरवार प्रखंड में 10+2 उच्च विद्यालय पेटरवार के मैदान एवं कसमार प्रखण्ड के गांधी मैदान में वीर शहीद पोटो हो खेल योजना के तहत मैदान एवं चेंजिंग रूम का निर्माण कराया जा रहा है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त स्थलों में स्टेडियम निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण हेतु उपायुक्त, बोकारो से प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–15/2023 525/ राँची, दिनांक 11.03.2023

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–237/वि०स०, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

(291)

श्री कमलेश कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–17 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत बिहार राज्य की सीमा पर अवस्थित सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हरिहरगंज प्रखण्ड में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक। हरिहरगंज प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय स्थापित नहीं है। हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य 100% पूर्ण है।
2.	क्या यह बात सही है कि हरिहरगंज प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने के कारण यहाँ के अर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर अधिसंख्य छात्र–छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते है;	अस्वीकारात्मक। छात्र–छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए निम्नांकित महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैः– 1. GLA College, Palamu 2. YSNM College, Palamu 3. J.S. College, Palamu 4. Degree College, Chattarpur 5. A.K. Singh College, Japla, Palamu 6. Mazdoor Kisan College, Panki, Palamu
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पलामू जिला अन्तर्गत हरिहरगंज प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	वर्तमान में प्रखण्ड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–36 / 2023 637 / रॉची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–941, दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

292

782
12/03/2023

श्री केदार हजरा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–06

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ विधान सभा क्षेत्र के जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत +2 उच्च विद्यालय, नवडीहा में सृजित पद के अनुरूप शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है एवं उत्क्रमित कर +2 उच्च विद्यालय, दुम्मा में अभी तक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी का पद सृजित नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक। नवडीहा +2 उच्च विद्यालय नवडीहा, जमुआ, गिरिडीह में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षकों के पद का विवरण निम्नांकित है:–

क्र. सं.	संवर्ग	स्वीकृत इकाई	कार्यरत इकाई	रिक्ति
1.	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक	10	05	05
2.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक	11	05	06

उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, दुम्मा, जमुआ में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मी पदों का इकाई सृजन राज्य स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

2.	क्या यह बात सही है कि उपयुक्त खण्ड–01 में वर्णित विद्यालयों में शिक्षक नहीं रहने के कारण स्थानीय छात्र–छात्राओं को शिक्षण कार्य में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नवडीहा +2 उच्च विद्यालय नवडीहा, जमुआ, गिरिडीह में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग के कुल–10 शिक्षक पदस्थापित/कार्यरत् है। उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय दुम्मा, जमुआ में प्रारंभिक कक्षाओं हेतु 01 सहायक शिक्षक (कक्षा 6–8) एवं 03 सहायक अध्यापकों द्वारा पठन–पाठन संचालित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, नवडीहा में सृजित पद के अनुरूप शिक्षक एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, दुम्मा में पद सृजन कर शिक्षकों के पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, दुम्मा, जमुआ सहित राज्य के 125 नवउत्क्रमित +2 उच्च विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद सृजन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नवडीहा +2 उच्च विद्यालय नवडीहा, जमुआ, गिरिडीह सहित राज्य के अन्य +2 उच्च विद्यालयों, जिनमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों का पद सृजित है, की रिक्ति के विरूद्ध, विज्ञापन सं. 14/2022 (सीधी नियुक्ति) एवं 15/2022 (बैकलॉग नियुक्ति) के माध्यम से क्रमशः 2855 एवं 265 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, परंतु वैधानिक आधार पर आयोग द्वारा अधियाचना वापस कर दी गयी है। नई नियोजन नीति के क्रम में उक्त 3120 पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को पुनः अधियाचना भेजी जा रही है।

विभाग
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–20/2023 782 राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभाग
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

293

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2023 कोपूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–14 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक, खनन् एवं घनी आबादी का क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड–निरसा अन्तर्गत स्थित मैथन पावर लिमिटेड पावर प्लांट है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि सड़क मार्ग से पावर प्लांट का छाई ट्रांसपोर्टिंग किये जाने के कारण आसपास के गाँवों में प्रदूषण फैल रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। शिकायत पत्र के आलोक में इकाई के आस–पास के ग्रामों का स्थल निरीक्षण किया गया है। स्थल निरीक्षण के आधार पर इकाई को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। इकाई से उत्पन्न छाई के परिवहन के लिए कवर्ड वाहन को व्यवहारित करने के शर्त्त के साथ सहमति प्रदत्त है।
4. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त अगल–बगल के गाँवों में प्रदूषण के कारण सांस संबंधित बीमारी, स्वास्थ्य एवं जानमाल का खतरा बढ़ने से लोग परेशान है;	ईकाई द्वारा परिवेशीय वायु गुणवत्ता जाँच हेतु Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) स्थापित किया गया है। PM 2.5 की मात्रा मानक 60 $\mu g/Nm^3$ से कम तथा PM 10 की मात्रा मानक 100 $\mu g/Nm^3$ से कम पाया गया है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि प्रदूषण तत्वों की मात्रा मानक के अधीन है। ईकाई द्वारा चिमनी उत्सर्जन जाँच हेतु Continuous Emission Monitoring Station (CEMS) स्थापित किया गया है। PM की मात्रा मानक 100 $\mu g/Nm^3$ से कम पाया गया है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि चिमनी उत्सर्जन में प्रदूषक तत्वों की मात्रा मानक के अधीन है। ईकाई द्वारा उत्सर्जित होने वाले वायु के कारण स्वांस संबंधी बिमारी होने की संभावना नहीं है। अन्य कारणों से स्वांस की बिमारी के संबंध में स्वास्थ्य विभाग से जाँच कराई जा सकती है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक–237 (3) दिनांक–10.03.23 द्वारा प्रतिवेदित है कि मौसम परिवर्तन, वायरस के अलावे प्रदूषण से भी सांस की बीमारी होती है। उक्त क्षेत्र में प्रायः सांस की बीमारी से संबंधित मरीज स्वास्थ्य संस्थानों में ईलाज हेतु आते हैं।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रदूषण के रोकथाम के लिए कंपनी प्रबंधन पर कार्रवाई कर लोगों को राहत देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड–3 के अनुसार।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–29/2023–910 व0प0, दिनांक–13/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–373, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

294

ीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–20 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधान–सभा क्षेत्र औद्योगिक, खनन् एवं घनी आबादी का क्षेत्र है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखंड केलियासोल के पंचेत स्थित झोरबुड़ी में गरम जल कुंड स्थल है,	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर मेले का आयोजन होता है तथा पर्यटन के दृष्टिकोण से भी लोगों का आना–जाना लगा रहता है,	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त झोरबुड़ी गरम जल कुंड स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	4.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 425 दिनांक 28.02.2023 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, धनबाद को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/17/2023 527 /राँची, दिनांक 11-03-2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–376/वि०स०, दिनांक–24/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.23
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

295

श्री सुखराम उराँव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–19 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत एक भी महिला डिग्री कॉलेज एवं बी0एड0 कॉलेज नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। चक्रधरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त निजी बी0एड0 महाविद्यालय, मधुसुदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चक्रधरपुर संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है महिला डिग्री कॉलेज एवं बी0एड0 कॉलेज के अभाव में छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। चक्रधरपुर विधान सभा अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, चक्रधरपुर जो एक अंगीभूत एवं Co-Education महाविद्यालय है। सम्बद्धता प्राप्त निजी बी0एड0 महाविद्यालय, मधुसुदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चक्रधरपुर संचालित है, जहाँ छात्र–छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रहित में चक्रधरपुर विधान सभा अन्तर्गत महिला डिग्री कॉलेज एवं बी0एड0 कॉलेज की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	कंडिका–01 एवं 02 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–39 / 2023 640 / रॉची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–1011, दिनांक–06.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–10 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राजमहल में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना पश्चात विभिन्न विषयों यथा विज्ञान संकाय (बायो साइंस), कला संकाय (इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र व अन्य) तथा भाषा साहित्य (संथाली, बंगला) के शिक्षकों के पदस्थापन के अभाव में स्थानीय छात्र–छात्राओं को वर्णित विषय की पढ़ाई हेतु अभी भी अन्य महाविद्यालयों में नामांकन लेना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक। मॉडल कॉलेज, राजमहत (साहेबगंज) में सत्र 2022–26 के अन्तर्गत सेम–1 में कुल 125 छात्र–छात्राओं का नामांकन विभिन्न विषयों में किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया आरंभ की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित महाविद्यालय में प्रायोगिक कक्षाओं हेतु शिक्षकों एवं उपकरण की अनुपलब्धता, पुस्तकालय और उसमें पाठ्यक्रम पुस्तकों का अभाव, कम्प्यूटर साइंस लैब हेतु कम्प्यूटर शिक्षा से संबंधित संरचना उपलब्ध नहीं कराई गयी है, जिससे प्रायोगिक कक्षाएँ एवं तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई प्रारम्भ नहीं हो पाई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा मॉडल महाविद्यालय, साहेबगंज हेतु फर्नीचर एवं Procurement मद में 02,64,74,800/– (दो करोड़ चौसठ लाख चोहत्तर हजार आठ सौ रूपये) मात्र तथा पुस्तक एवं प्रयोगशाला उपकरण मद में रू0 50,00,000/– (पचास लाख रूपये) मात्र आवंटित किया गया है। उक्त पर विश्वविद्यालय द्वारा GeM के माध्यम से सामग्रियों के क्रय की प्रक्रिया की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित मॉडल डिग्री महाविद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर का पद सृजन कर पदस्थापित कराने, प्रायोगिक कक्षाएँ तथा कम्प्यूटर शिक्षा हेतु उपकरण उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संकल्प संख्या–2993, दिनांक 03.01.2018 के द्वारा मॉडल कॉलेज, राजमहत (साहेबगंज) में कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं व्यवसायिक शिक्षा संकाय स्वीकृति एवं प्राचार्य (01), सहायक प्राध्यापक (13), सह–प्राध्यापक (03) तथा शिक्षकेत्तर कर्मी (12) कुल 29 पदों का सृजन किया गया है। शेष उत्तर कंडिका–01 एवं 02 में निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–21/2023 635 / रॉची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–234 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

(29)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

400
13.3.23

श्री किशुन कुमार दास, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 शि0–17

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1	क्या यह बात सही है कि संयुक्त बिहार के समय अनौपचारिक शिक्षा में पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई थी, इसमें बाद में अनौपचारिक शिक्षा विभाग द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया, जिसके लिए कार्यरत पर्यवेक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय में डब्लू.पी.(एस.) सं0–2113 वर्ष 2003, डब्लू.पी.(एस.) सं0–3834 वर्ष 2003 एवं डब्लू.पी.(एस.) सं0–4321 वर्ष 2014 दायर किया गया, जिसके उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभाग को कार्यरत पर्यवेक्षकों को समायोजित करने का आदेश दिया गया;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बिहार में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी 2000 अनौपचारिक पर्यवेक्षकों को समकक्ष पद पर समायोजित कर दिया गया परन्तु झारखण्ड के 676 अनौपचारिक पर्यवेक्षकों को समायोजन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बचे हुए अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों (676) को समकक्ष पद पर समायोजित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा डब्लू.पी.(एस.) सं0–1333/2002 में दिनांक 21.02.2002 को पारित आदेश के आलोक में सरकार के सचिव, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, झारखंड, रांची द्वारा विस्तृत सुनवाई के उपरांत आदेश संख्या 849 दिनांक 02.04.2003 द्वारा वादियों से प्राप्त अभ्यावेदन को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया तथा उसे अस्वीकृत किया गया। पुनः डब्लू.पी.(एस.) सं0–2413/2003 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2021 को पूर्व निर्गत विभागीय आदेश सं0–849/02.04.2003 को रद्द करते हुए चार माह के अंदर नये सिरे से निर्णय लेने हेतु आदेश पारित किया गया। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वादीगणों से प्राप्त अभिलेख एवं साक्ष्यों के आलोक में आदेश संख्या 2400 दिनांक 16.12.2021 द्वारा वादीयों को सेवा समायोजन संबंधी मांग विचारयोग्य नहीं पाते हुए इनके दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निष्पादित

		किया गया। सम्प्रति अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक का समायोजन संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

13/3/23

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 16/वि02-93/23 – 400 रॉंची, दिनांक 13/3/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–232, दिनांक 23.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/23

सरकार के अवर सचिव

श्रीमती पुष्पा देवी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–17 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के पाटन, छतरपुर सहित पुरे पलामू जिले में नीलगाय एवं हाथी के आतंक से वहाँ के किसान काफी परेशान है;	स्वीकारात्मक। पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, उटारी रोड, विश्रामपुर, छतरपुर इत्यादि प्रखण्डों में नीलगायों की समस्या अधिक है। शेष अन्य प्रखण्डों में उसके अपेक्षा कम है।
2. क्या यह बात सही है कि जिले के किसान कर्ज लेकर खेती करते है जिसे नीलगाय एवं हाथियों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिसके कारण किसान कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में मानसिक तनाव में रह रहे हैं एवं पलायन करने को मजबूर है;	किसानों के नष्ट हुए फसलों का वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से स्थलीय जाँचोपरान्त सरकारी नियमानुसार मुआवजा भुगतान किया जाता है।
3. क्या यह बात सही है कि लगातार चार–पाँच वर्षों से नीलगाय एवं हाथियों के द्वारा फसल नष्ट कर दिये जाने से सरकार द्वारा अभी तक किसानों को मुआवजा राशि नहीं दिया गया है, जिससे किसान कर्ज के दबाव में अब खेती करना छोड़ रहे है;	अस्वीकारात्मक। विगत तीन वर्षों में मेदिनीनगर रीजन अन्तर्गत किसानों को भुगतान की गयी राशि :– क्र० सं० | वर्ष | राशि | किसानों की सं० 1. | 2020–21 | 3911340.00 | 343 2. | 2021–22 | 1974390.00 | 162 3. | 2022–23 | 5435160.00 | 446 कुल :– | | 11320890.00 | 951 पलामू रीजन अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में कुल 951 किसानों को 11320890.00 रु० का भुगतान जांच के द्वारा सत्यापित दावों के आधार पर किया गया है। शेष लंबित मामलों का सत्यापन पूर्ण होते ही भुगतान कर दिया जाएगा।
4. यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पाटन–छतरपुर सहित पुरे पलामू जिले के किसानों को नीलगाय एवं हाथियों के द्वारा नष्ट की गयी फसलों के बदले में उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	किसानों के नष्ट हुए फसलों का वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से स्थलीय जाँचोपरान्त सरकारी नियमानुसार नष्ट हुए फसलों का मुआवजा भुगतान किया जाता है। भुगतान का सारांश खण्ड 3 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–35/2023– 911 व0प0, दिनांक– 13/03/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–717, दिनांक–28.02.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/23

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

299

759
12/03/2023

प्रो. स्टीफन मरांडी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–38

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है राज्य कर्मियों के लिए एम.ए.सी.पी.एस. योजनान्तर्गत 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्षो की सेवा पूर्ण होने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उन्नयन का लाभ दिया जाता है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2981/वि. दिनांक 01.09.2009 के द्वारा राज्यकर्मियों को *MACP* योजना के अन्तर्गत पूरे सेवा काल में तीन वित्तीय उन्नयन, जो सीधी भर्त्ती ग्रेड से परिगणित होगा, क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्षो की सेवा पूरी करने के उपरांत देय है। साथ ही उल्लेखनीय है कि उक्त संकल्प के परिशिष्ट–1 के कंडिका–16 में प्रावधान है कि *MACP* योजना का लाभ राजकीयकृत विद्यालय/ अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों/यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.ई.आर.टी. आदि वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षकों/ पदाधिकारियों को देय नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मी, जिनके लिए अलग से किसी विशेष प्रोन्नति योजना का प्रावधान पूर्व से किया गया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ देय नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर विद्यालय (प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय सहित) में कार्यरत मौलिक पद के योग्यताधारी को प्रोन्नति का अवसर नहीं होने की स्थिति में राज्य के कर्मियों की भाँति इन्हें भी वित्तीय उन्नयन की अनुशंसा की गयी है;	अस्वीकारात्मक। माध्यमिक विद्यालयों (प्रोजेक्ट उच्च विद्यालयों सहित) के शिक्षक के लिए झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) अधिसूचित है। इसी प्रकार +2 उच्च विद्यालयों/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए झारखण्ड +2 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) अधिसूचित है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 660/*F* दिनांक 28.02.2009 द्वारा राज्य के राजकीयकृत/सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के षष्ठ पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान् के समान हू–बहू उत्क्रमित वेतनमान् का लाभ भी दिनांक 01.01.2006 की तिथि से प्रदान किया गया है, जो संबंधित संकल्प के पृष्ठ संख्या 93 पर अंकित है। साथ ही उन्हें प्रत्येक पद हेतु वरीय एवं प्रवरण वेतनमान् का भी लाभ देय है, यथा –

शिक्षक पद	ग्रेड	दिनांक 01.01.2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान्	उत्क्रमित एवं अपुनरीक्षित वेतनमान	दिनांक 01.01.2006 को पुनरीक्षित वेतनमान एवं ग्रेड पे	दिनांक 01.01.2016 से देय सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान
1	2	3	4	5	6
प्राथमिक/ इंटर प्रशिक्षित शिक्षक	III	4500–7000	6500–10500	9300–34800+ 4200 GP	35,400 – 1,12,400
	II	5000–8000 5500–9000	7450–11500	9300–34800+ 4600 GP	44,900 – 1,42,400
	I	5500–9000 6500–10500	7500–12000	9300–34800+ 4800 GP	47,600 – 1,51,100
स्नातक प्रशिक्षित	III	5500–9000	7450–11500	9300–34800+4600 GP	44,900 – 1,42,400

प्रो. स्टीफन मरांडी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–38

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
		<table><tr><td>शिक्षक</td><td>II</td><td>6500–10500</td><td>7500–12000</td><td>9300–34800+4800 GP</td><td>47,600 – 1,51,100</td></tr><tr><td></td><td>I</td><td>7500–12000</td><td>8000–13500</td><td>9300–34800+5400 GP</td><td>53,100 – 1,67,800</td></tr><tr><td>स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक</td><td>III</td><td>6500–10500</td><td>7500–12000</td><td>9300–34800+4800 GP</td><td>47,600 – 1,51,100</td></tr><tr><td></td><td>II</td><td>7500–12000</td><td>8000–13500</td><td>15600–39100+5400 GP</td><td>56,100 – 1,77,500</td></tr><tr><td></td><td>I</td><td>8000–13500</td><td>10000–15200</td><td>15600–39100+6600 GP</td><td>67,700 – 2,08,700</td></tr></table> वर्त्तमान में तद्नुरूप प्रतिस्थानी सप्तम पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान् का लाभ राज्य के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को देय है, जो उपर्युक्त तालिका के कॉलम–6 में अंकित है। उन्हें ए.सी.पी. अथवा एम.ए.सी.पी. का लाभ देय एवं अनुमान्य नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि पैत्रिक राज्य बिहार में भी ए.सी.पी. एवं एम.ए.सी.पी. एस. के प्रावधानों के तहत् तीन वर्षीय उन्नयन प्रदान की गयी है, परन्तु यहाँ के शिक्षक उपर्युक्त योजना के लाभ से वंचित हैं;	दिनांक 15.11.2000 के अनुसार अविभाजित बिहार राज्य, विभाजित बिहार एवं झारखण्ड, दोनों राज्यों हेतु पैतृक राज्य है। दिनांक 15.11.2000 के उपरांत दोनों अलग–अलग राज्य हैं एवं स्वयं निर्णय हेतु सक्षम हैं, तद्नुसार दिनांक 15.11.2000 के उपरांत दोनों राज्यों द्वारा लिये गये निर्णय एक–दूसरे के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायनिदेश/न्यायादेश में उपर्युक्त आशय का आदेश पारित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के राजकीय, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को भी ए.सी.पी. एवं एम.ए. सी.पी.एस. योजना का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है।

विभाग।
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–76/2023 759 राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभाग।
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

300

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री उमाशंकर अकेला, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि–19

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार**
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखंड में ताराटांड, मायाडीह, घोरवारेल, चोहरी चट्टान, घोड़प्पी एवं बीरागड़ स्कूल भवनों के निर्माण का कार्यादेश दिनांक 15.05.2009 को हुआ था जिसका निर्माण कार्य आगे भी अधूरा है;	स्वीकारात्मक। कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखंड में नव प्राथमिक विद्यालय, ताराटांड, नव प्राथमिक विद्यालय, घोरवाटांड, नव प्राथमिक विद्यालय, महथाडीह, नव प्राथमिक विद्यालय चौरहीचट्टान, नव प्राथमिक विद्यालय, वीरागढ़ा नव प्राथमिक विद्यालय, घोड़टप्पी विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य कराने हेतु वर्ष 2009 में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के पत्रांक JEPC/CIV/03/152/244 दिनांक 11.05.2009 द्वारा संवेदक M/S T.N. Sahu PTC Road, Korra, Hazaribagh कार्यादेश निर्गत किया गया था। इस योजना की स्वीकृति 12वें वित्त आयोग के तहत प्रदान की गई थी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के पत्रांक JEPC/CIV/03/187/2009/2432 दिनांक 08.09.2010 द्वारा वैसी सभी योजना जिनका भौतिक स्तर Plinth या Plinth से नीचे था को बंद कर दिया गया एवं योजना की पूरी राशि कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण में उपयोग किया गया।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त भवन अधूरा होने के कारण भवन खंडहर हो गया है;	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त वर्णित सभी 6 विद्यालयों का निर्माण Plinth स्तर या उससे नीचे था, परन्तु संवेदक M/S T.N. Sahu PTC Road, Korra, Hazaribagh द्वारा निर्माण कार्य को जारी रखा गया एवं कालांतर में राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विभिन्न स्तर पर कार्य को बंद कर दिया गया। वर्तमान में विद्यालय भवन निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति निम्नवत् है:– नव प्राथमिक विद्यालय, ताराटांड, – प्रथम तल–छत ढलाई नव प्राथमिक विद्यालय, घोरवाटांड – प्रथम तल–छत स्तर नव प्राथमिक विद्यालय, महथाडीह, – फिनीसिंग स्तर नव प्राथमिक विद्यालय चौरहीचट्टान, – प्रथम तल–छत ढलाई नव प्राथमिक विद्यालय, वीरागढ़ा – प्रथम तल–छत ढलाई नव प्राथमिक विद्यालय, घोड़टप्पी – भूतल–छत स्तर वर्तमान में उपरोक्त विद्यालयों के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु कार्य की अंतिम मापी करायी गई है एवं अवशेष कार्य को DMFT मद से पूरा कराने का अनुशंसा जिले से प्राप्त हुई है।

Khurshid

13/3/23

3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिन एजेंसियों के द्वारा उक्त कार्य कराया गया है उस पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संवेदक M/S T.N. Sahu PTC Road, Korra, Hazaribagh के एकरारनामा को जिले से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विखण्डित कर योजना को बंद किया गया है तथा अवशेष कार्य को डी.एम.एफ.टी. निधि से कराने हेतु प्राक्कलन अद्यतन अनुसूचित दर पर तैयार किया गया है। योजना स्वीकृति के उपरांत अवशेष कार्य को पूर्ण कर विद्यालय का संचालन नवनिर्मित भवन में आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ किया जाएगा।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक :10 / वि.स.01–45 / 2023 410 / राँची, दिनांक 13/03/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–229 दिनांक 23.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

301

श्री दशरथ गागराई, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–14 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं 19 कॉलेजों में शिक्षकों के 878 पद स्वीकृत है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोल्हान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कुल 19 अंगीभूत महाविद्यालयों में कुल 724 शिक्षकों का पद स्वीकृत है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय मे स्वीकृत पदो के विरूद्ध मात्र 355 शिक्षक ही कार्यरत है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोल्हान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कुल 232 शिक्षक कार्यरत है।
3.	क्या यह बात सही है कि शिक्षकों की कमी से विश्वविद्यालय में पठन–पाठन कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;	विश्वविद्यालय के पठन–पाठन कार्यों पर प्रतिकूल असर न पड़े इस हेतु घंटी आधारित शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों के द्वारा पठन–पाठन कार्य कराया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोल्हान विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर शिक्षकों के नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को प्रेषित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–25 / 2023 636 / रॉची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–477 दिनांक–25.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

(302)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–24 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक–क्री०नि०–06/स्था०–34/2016,1305, दिनांक– 31.12.2020 के आलोक में सरकार के सचिव द्वारा झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली के तहत् विभिन्न विभागों में नियुक्ति हेतु संबंधित विभागों के प्रधान सचिव से पत्राचार किया गया था,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक–24.12.2020 को आहुत, खिलाडियों की सीधी नियुक्ति हेतु अनुशंसा समिति की बैठक में खेल विधा वुशु तथा कुस्ती में चयनित 16 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों में चौथे से आठवें स्थान प्राप्त करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसका प्रस्ताव व सूची खेल–कूद एवं युवा कार्य निदेशालय, झारखण्ड सरकार की बैठक की कार्यवाही में दर्ज है,	2.	अस्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 2 में वर्णित खेल विधा में चयनित सूचीबद्ध खिलाड़ियों का प्रशासी विभाग द्वारा सभी प्रकार के आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जाँच कर अनुशंसा समिति को इनके नियोजन हेतु भेजी गयी है,	3.	अस्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली के तहत् खण्ड–2 में वर्णित खेल विधा में चयनित सभी 16 खिलाड़ियों की शीघ्र नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	दिनांक 24.12.2020 को खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हेतु अनुशंसा समिति की बैठक की कार्यवाही के अनुसार चौथे से आठवें स्थान प्राप्त करने का दावा करने वाले खिलाड़ियों के दावे की जाँच की जानी है। जाँचोपरान्त इनकी नियुक्ति पर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/20/2023 484 /राँची, दिनांक 04.03.2023

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–579/वि०स०, दिनांक–26/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

303

सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–35 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि सिदगोड़ा, जमशेदपुर के जिस परिसर में विभाग द्वारा चिल्ड्रेन पार्क, तालाब, यात्री निवास आदि संरचनाएं निर्मित है, वहाँ अभी भी पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है, जिसे पर्यटन खेलकूद परिसर के रूप में विकसित किया जा सकता है,	1.	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि जमशेदपुर में इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पुल या कलाकारों, चित्रकारों के कला प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक संरचनाओं का अभाव है, जिन्हें इस स्थान पर निर्मित किया जा सकता है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है, कि इस परिसर में सरकारी भूमि और सरकारी खर्च पर निर्मित कतिपय संरचनाओं पर अभी भी अवैध कब्जा है साथ ही जिला पर्यटन पदाधिकारी द्वारा सिदगोड़ा थाना में दर्ज नामजद प्राथमिकी संख्या –15/12, दिनांक–19.01.2022 पर अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है,	3.	अस्वीकारात्मक परिसर में सरकारी भूमि और सरकारी खर्च पर निर्मित किसी भी संरचना पर अवैध कब्जा नहीं है। प्राथमिकी संख्या–15/12, दिनांक–19.01.2022 के आलोक में संबंधित थाना द्वारा काण्ड में शामिल आरोपियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुसंधान चल रहा है।
4.	4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित स्थान को पर्यटन, खेलकूद, कला–संस्कृति परिसर के रूप में विकसित एवं संबंध संरचनाओं का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	प्रश्न के आलोक में परिसर खाली भूमि पर खेल से संबंधित इंडोर स्टेडियम व स्विमिंग पुल कला संस्कृतिक से संबंधित संरचना–कलाकारों/चित्रकारों के कला प्रदर्शन के लिए आवश्यक संरचनाओं के निर्माण की संभावना व उपलब्ध भूमि के संबंध में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम से प्रतिवेदन माँगा गया है। उक्त परिसर में इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पुल व कलाकारों के कला प्रदर्शन के लिए आवश्यक संरचनाओं के निर्माण की संभावना व पर्याप्त भूमि उपलब्ध रहने की स्थिति में बजट उपलब्धता के अनुसार संरचनाओं के निर्माण की स्वीकृति पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/42/2023 533 /राँची, दिनांक 13.03.2023

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1000/वि०स०, दिनांक–05/03/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.03.23
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

304

783
12/03/2023

श्री दशरथ गागराई, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–41

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है सरायकेला– खरसांवा जिला अंतर्गत कुचाई प्रखण्ड के पहाड़ी क्षेत्र में 23 विद्यालय भवनहीन हैं;	स्वीकारात्मक। पहुँच पथ नहीं रहने के कारण भवन निर्माण का कार्य संभव नहीं हो पाया था।
2.	क्या यह बात सही है कि ऊपर वर्णित विद्यालयों में भवन नहीं होने से पठन–पाठन प्रभावित हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् सभी भवनहीन विद्यालयों में पठन–पाठन का कार्य वैकल्पिक स्थल एवं व्यवस्था से संचालित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कुचाई प्रखण्ड के 23 भवनहीन विद्यालयों के लिए भवन निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सरकार द्वारा सभी 23 विद्यालयों के लिए भवन निर्माण का प्रयास किया जा रहा हैं, जिनमें से 07 विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य विशेष केन्द्रीय सहायता (*SCA*) के तहत् भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, सरायकेला द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है, जो निम्नांकित है :–

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	प्राक्कलित राशि (रु. में)	भौतिक स्थिति
1.	नव प्राथमिक विद्यालय हँसाबेड़ा	15,65,333.00	छत स्तर
2.	नव प्राथमिक विद्यालय बारीडीह	15,65,333.00	छत स्तर
3.	नव प्राथमिक विद्यालय दाउकोचा	15,65,333.00	लिंटल स्तर
4.	नव प्राथमिक विद्यालय टाटीबेड़ा	15,65,333.00	प्लींथ स्तर
5.	नव प्राथमिक विद्यालय लोटाडीह	15,65,333.00	प्लींथ स्तर
6.	नव प्राथमिक विद्यालय डाँगीडीह	15,65,333.00	प्लींथ स्तर
7.	नव प्राथमिक विद्यालय डोडरादा	15,65,333.00	प्लींथ स्तर

वर्त्तमान में पहुच पथ की समस्या के कारण बोल्डर मैसनरी एवं ब्लू स्कोप शीट से भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

शेष विद्यालयों के भी भवन निर्माण हेतु राशि की उपलब्धता के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

विभाग
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–73 / 2023.....783..... राँची, दिनांक.....12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विभाग
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

305

778
12/03/2023

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–34

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट द्वारा एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर, लाईब्रेरियन, स्टेनो, क्लर्क, एकाउन्ट क्लर्क, स्टोरकीपर, लैबोरेटरी स्टोरकीपर, टाईपिस्ट सह कम्प्यूटर ऑपरेटर जैसे 14 गैर–शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन सं. 10/2023 दिनांक 18.01.2023 जारी किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट के 14 गैर शिक्षकेत्तर पदों में पीटीआई पद के 01 एवं स्टोरकीपन पद के 01 पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है तथा चालक का 01 पद अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रखा गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए एक भी पद सृजित नहीं किया गया है और न ही आरक्षित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त विज्ञापन में सरकार के आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है;	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय–सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट के पत्रांक–360 दिनांक 06.03.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार प्रकाशित विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया था, यथा– (i) प्रकाशित विज्ञापन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–1433 दिनांक–15.02.2019 के परिशिष्ट–III के आलोक में रोस्टर नियमों का पालन किया गया था, (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–4423 दिनांक–05.08.2002 में स्पष्ट है कि **"संवर्गीय एकल पद में आरक्षण लागू नहीं रहेगा अर्थात जहाँ पर एकल पद हो वहाँ पर आरक्षण रोस्टर के आधार पर पद नहीं भरा जाएगा।"**
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विज्ञापन को रद्द कर आरक्षण रोस्टर अनुसार नये सिरे से विज्ञापन जारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा वाद संख्या W.P.(C) संख्या–3894/2021 में पारित न्यायादेश एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 604/राँची दिनांक 30.01.2023 के आलोक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के सूचना पत्रांक 234 दिनांक 13.02.2023 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है।

विभाग।
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–101 / 2023 778 राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

306

ी उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–11 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड के ग्राम खेरौन में सात–आठ विभिन्न भगवन का मंदिर अवस्थित है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि प्रति वर्ष उन मंदिरों में हजारों की संख्या में शादी–विवाह होता है तथा प्रतिदिन सैकड़ों लोग दर्शन हेतु आते हैं,	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर विकास करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 407 दिनांक 25.02.2023 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त –सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, हजारीबाग को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/13/2023 477 /राँची, दिनांक 04·03·2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–240/वि०स०, दिनांक–23/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04·03·23
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

307

श्री अमित कुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–05 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत डिग्री कॉलेज, बरकट्ठा एवं कोडरमा जिला अंतर्गत राजकीय पॉलटेक्निक कॉलेज, गोहाल (जयनगर) का भवन बनकर विगत–2 वर्षों से तैयार है;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला अन्तर्गत डिग्री कॉलेज, बरकट्ठा का भवन निर्माण का कार्य 99% पूर्ण हुआ है। राजकीय पोलिटेनिक, जयनगर (कोडरमा) का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2022 में पूर्ण हुआ है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित दोनों कॉलेज के भवन निर्माण हुए 2 वर्ष के बाद भी इन स्थानों में पठन–पाठन कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। राजकीय पोलिटेनिक, जयनगर (कोडरमा) में शैक्षणिक सत्र 2023–24 से पठन–पाठन कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त दोनों महाविद्यालयों में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ कराना चाहती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–01 एवं 02 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / वि0स0–10 / 2023 639 / रॉची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–107 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/23
(सुरेश चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

308

श्रीमती सविता महतो, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–14.03.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–22 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती सविता महतो, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत झिमड़ी पंचायत, नीमडीह प्रखण्ड में स्टेडियम है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त स्टेडियम लगभग पाँच वर्षो से बनकर तैयार है परन्तु आज तक उपयोगविहिन है, जिससे खेल तथा खेल प्रेमियों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है;	वित्तीय वर्ष 2017–18 में नीमडीह प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी जो वर्त्तमान में निर्माणाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित उक्त स्टेडियम को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–502, दिनांक–09.03.2023 द्वारा उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ से उपयोगिता संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्तोपरान्त स्टेडियम कार्य पूर्ण कराने एवं उसे चालू कराने के निमित्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–26/2023 526 / राँची, दिनांक 11.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–491/वि०स०, दिनांक–25.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.03.23
सरकार के संयुक्त सचिव

(309)

श्री दिनेश विलियम मरांडी, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–14.03.2023 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–17 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री दिनेश विलियम मरांडी, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न खेलों का आवासीय एवं डे–बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कर रही है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिले की फुटबॉल टीम मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2022–23 की विजेता रही है जबकि पाकुड़ जिले में एक भी आवासीय अथवा डे–बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नहीं है;	स्वीकारात्मक। पाकुड़ जिले में फुटबॉल (बालिका) का डे–बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पाकुड़ जिले के खिलाड़ियों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु आवासीय एवं डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आवासीय एवं डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु मार्गदर्शिका का गठन प्रक्रियाधीन है। मार्गदर्शिका गठन के पश्चात् नियमानुसार सभी जिलों में आवासीय/डे–बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों का अधिष्ठापन एवं संचालन किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–23/2023 517 / राँची, दिनांक 10.03.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–486/वि०स०, दिनांक–25.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

311

764
12/03/2023

डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–47

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है राज्य में 178 स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इन्टर कॉलेज दो सौ सात प्रस्वीकृति प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय, 33 संस्कृत एवं 43 मदरसा प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी, इन शिक्षा केन्द्रों को सरकार द्वारा अधिग्रहण करने एवं अन्य माँग को लेकर राज्य निर्माण से अब तक सरकार को अवगत कराते रहे हैं;	वस्तुस्थिति यह है कि इस संबंध में राज्य सरकार की नीति प्रारंभ से ही सुस्पष्ट है। राजकीय अधिसूचना संख्या–129 दिनांक 30.11.1981 द्वारा माध्यमिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति आदि के संबंध में नीति का निर्धारण किया गया था कि– (i) दिनांक 11.08.1980 के पूर्व स्थापना की अनुमति प्राप्त एवं आवेदित माध्यमिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति तथा प्रबंध ग्रहण, बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम की धारा–3(3) के अधीन किया गया है। (ii) दिनांक 11.08.1980 के उपरांत जन प्रयास से स्थापित माध्यमिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया एक–दूसरे से पूर्णतः अलग होगी, (iii) वैसे विद्यालय जो प्रस्वीकृति की सभी निर्धारित शर्त्ते पूर्ण करती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा बिना किसी वित्तीय भार के प्रस्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा को सरकार अधिग्रहित नहीं करेगी, आदि।
2.	क्या यह बात सही है कि इस राज्य के पाँच लाख विद्यार्थी इन शिक्षा केन्द्रों में अध्ययनरत हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखंड राज्य में अवस्थित वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में लगभग 4,30,000 (चार लाख तीस हजार) छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत् है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शिक्षण केन्द्रों को अधिग्रहित कर कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पद के अनुसार वेतन देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/स्थायी प्रस्वीकृत +2 विद्यालय (इंटरमीडिएट महाविद्यालय)/प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों को झारखंड राज्य शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004, झारखंड राज्य शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004, विभागीय संकल्प संख्या–1953 दिनांक–08.10.2014 तथा विभागीय संकल्प संख्या–296 दिनांक–06.02.2023 में निहित प्रावधानों के तहत छात्र संख्या के आधार पर अनुदान की राशि स्वीकृत की जाती है। इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी की नियुक्ति संबंधित संस्थान के शासी निकाय के द्वारा की जाती है। ये कर्मी सरकारी सेवक नहीं होतें है। इन संस्थानों को अधिग्रहण करने तथा कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पद के अनुरूप वेतन दिये जाने का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है, जो राजकीय अधिसूचना संख्या–129 दिनांक 30.11.1981 से स्पष्ट की गई है।

विकास 12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–90/2023.....764..... राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विकास 12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

(312)

761
12/03/2023

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–12

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत चाकुलिया प्रखण्ड के बड़ामारा पंचायत के अन्तर्गत मुड़ाल विद्यालय को वर्ष 2007 में उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है;	स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक 6/218–07/2005/1989 दिनांक 15.09.2006 के द्वारा वर्ष 2006 में पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत चाकुलिया प्रखण्ड के बड़ामारा पंचायत के अन्तर्गत मुड़ाल मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित के बाद आज तक भवन, बेंच–डेस्क जैसे आधारभूत जरूरतों की आपूर्ति नहीं की गई है, जिसके कारण सही अर्थ में पठन–पाठन की क्रिया बाधित है;	अस्वीकारात्मक। उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मुड़ाल प्रखण्ड, चाकुलिया का यू–डायस कोड–20180809702 है। विद्यालय में कुल 8 वर्ग कक्ष तथा 2 अन्य कमरे उपलब्ध हैं। विद्यालय का नामांकन 270 है। विद्यालय में शौचालय, पेयजल एवं विद्युत की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय में बच्चों के लिए बेंच–डेस्क की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिले के माध्यम से विद्यालय को राशि उपलब्ध कराई गई थी, जिससे वर्त्तमान में नामांकित बच्चों के लिए बेंच–डेस्क की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय के रख–रखाव हेतु प्रत्येक वर्ष विद्यालय को विद्यालय विकास अनुदान की राशि भी उपलब्ध कराई गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित विद्यालय हेतु पर्याप्त कमरों का भवन निर्माण के साथ आधारभूत जरूरतों को पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में छात्र–वर्गकक्ष के अनुपात के अनुसार कमरे उपलब्ध हैं।

ह०/- 12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–19/2023 761 राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

313

श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० ट-27 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के पलामू जिले के छत्तरपुर प्रखण्ड में देवगन धाम (राम-जानकी मन्दिर) 250 वर्ष पूर्व निर्मित है, को पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त है,	1.	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित धाम में प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन होता है तथा हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते है,	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त मंदिर/धाम में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित/मूलभूत सुविधाओं का न होने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है,	3.	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित धाम/मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा देते हुए पर्यटन के रूप में विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 468 दिनांक 03.03.2023 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त -सह-अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, पलामू को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक-पर्यटन/वि०स०/33/2023 513 /राँची, दिनांक 10.03.2023

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-784/वि०स०, दिनांक-01/03/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.03.23

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(314)

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित

प्रश्न संख्या शि–01

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोईया दीदी को दो हजार रुपया प्रति माह के दर पर वर्ष में मात्र दस माह का मानदेय मिलता है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मानदेय अकुशल मजदूरों के मजदूरी दर से भी कम है;	पी.एम. पोषण (मध्याह्न भोजन योजना) केन्द्र प्रायोजित योजना है और यह भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत बजट एवं दिशा–निर्देश के अनुरूप ही संचालित होती है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच योजना की राशि का अंशदान 60:40 के अनुपात में है। भारत सरकार द्वारा रसोईया–सह–सहायिका के मानदेय के रूप में वर्ष में दस माह के लिए ही राशि उपलब्ध कराई जाती है। रसोईया–सह–सहायिका को भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में रु. 600/–, राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में रु. 400/– की दर से तथा राज्य योजना से अतिरिक्त रु. 1000/– की दर से राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर रु. 2000/– की दर से राशि का भुगतान कार्यरत रसोईया–सह–सहायिका को दस माह के लिए किया जाता है। ज्ञातव्य हो कि रसोईया–सह–सहायिका द्वारा विद्यालय कार्य दिवस में औसतन 03 से 04 घंटे तक ही विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार कर उपस्थित बच्चों को खाना खिलाने का कार्य किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रसोईया दीदी को प्रतिमाह पाँच हजार रुपये की दर से बारह माह के मानदेय का भुगतान एवं उनके दुर्घटना बीमा की गारंटी का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों,	उत्तर कंडिका–02 में सन्निहित है। भारत सरकार द्वारा पी.एम. पोषण योजना के क्रियान्वयन में दुर्घटना बीमा का कोई प्रावधान नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष से रसोईया–सह–सहायिका 12 माह का मानदेय देने पर विचार किया जा रहा है।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–67/2023-392 /राँची, दिनांक 13-3-2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–18 दिनांक 14.02.2023 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/23
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(315)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० ट.–01 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत बिरनी प्रखण्ड में प्रतिमानाथ धाम एवं डबरसैनी पहाड़, सरिया प्रखण्ड में शिव शक्ति धाम एवं बगोदर प्रखण्ड में बरमसिया धाम तथा हनुमान गढ़ी खटिया पहाड़ जिला स्तरीय पर्यटन सूची में घोषित स्थल है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि उपरोक्त स्थलों में नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव है साथ ही अबतक पर्यटन विभाग से कोई भी योजना स्वीकृत नहीं है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त पर्यटन स्थलों हेतु बहुद्देशीय भवन, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल व अन्य नागरिक सुविधा से संबंधित योजना की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों	3.	प्रश्नाधीन सभी स्थल श्रेणी 'D' का पर्यटन स्थल अधिसूचित है। यहाँ आवश्यक अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास/पर्यटकीय विकास हेतु विभागीय पत्रांक 328, दिनांक 17.02.2023 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से प्रस्ताव व प्राक्कलन माँगा गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता के अनुरूप आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/03/2023 430 /राँची, दिनांक 01.03.2023

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–23/वि०स०, दिनांक–14/02/2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(316)

787
12/03/2023

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–37

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कई जिला एवं प्रखण्ड अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत आते हैं, जहां ST, SC एवं OBC वर्ग के लोगों की बहुलता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला सहित झारखण्ड राज्य के अन्य जिलों में भी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्प संख्यक विद्यालय एवं सहायता प्राप्त अल्प संख्यक विद्यालयों में भी ST, SC एवं OBC वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि संविधान के अनुच्छेद 15 के विरुद्ध अल्प संख्यक विद्यालय होने के कारण धर्म के आधार पर भेदभाव करते हुए सिमडेगा जिला सहित झारखण्ड के सभी जिलों में गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्प संख्यक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को संवैधानिक प्रावधान के तहत् मिलने वाला लाभ नहीं दिया जाता है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि– (*i*) समग्र शिक्षा कार्यक्रम के *framework for Implementation, Ministry of Education* के अनुसार सरकारी विद्यालयों के साथ–साथ गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों तथा मदरसा में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को भी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार उन्हें मध्याह्न भोजन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है, परन्तु मात्र सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 की सभी छात्राओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा बी.पी.एल. परिवार के छात्रों को दो सेट पोशाक उपलब्ध कराया जाना है, (*ii*) राज्य सरकार के संकल्प सं. 378 दिनांक 05.03.2019 के द्वारा विद्यालय किट योजना के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग, कॉपी एवं सहायक सामग्री दिये जाने का प्रावधान किया गया है, (*iii*) कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को विभागीय संकल्प सं. 3408 दिनांक 31.12.2015 द्वारा निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक एवं पोशाक दिये जाने का प्रावधान किया गया है एवं (*iv*) राज्य सरकार के संकल्प सं. 1276 दिनांक 03.08.2021 एवं 89 दिनांक 31.03.2022 में किये गये प्रावधान के अनुसार सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्रों को निःशुल्क पोशाक एवं पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

विकास
12/3/23

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–37 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्प संख्यक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अल्प संख्यक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को धर्म के आधार पर भेदभाव किये बिना मिलने वाले सरकारी लाभों को देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर उपरोक्त खंडों में निहित है।

12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–65 / 2023 787 राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

(318)

779
12/03/2023

श्री दुलू महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–29

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा अनेकों इंटर कॉलेज उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा आदि को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान वर्ष में एक बार दिया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 में निर्धारित पात्रता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु नामांकित छात्र संख्या के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त देय अनुदान से विद्यालय का रख–रखाव एवं समुचित वित्त पोषण नहीं हो पाता है, जिससे उक्त अनुदानित विद्यालयों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्वीकृत संस्थानों के रख–रखाव एवं वित्त पोषण का दायित्व संबंधित संस्थान के शासी निकाय / प्रबंध समिति की है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुदानित इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा आदि का अधिग्रहण करने या घटानुदान देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अनुदानित इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा आदि का अधिग्रहण करने या घटानुदान देने का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। राजकीय अधिसूचना संख्या–129 दिनांक 30.11.1981 द्वारा माध्यमिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति आदि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार वैसे विद्यालय जो प्रस्वीकृति की सभी निर्धारित शर्त्ते पूर्ण करती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा बिना किसी वित्तीय भार के प्रस्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा को सरकार अधिग्रहित नहीं करेगी आदि, जिससे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित स्थिति स्वतः स्पष्ट है। विभागीय संकल्प संख्या–296 दिनांक 06.02.2023 द्वारा राज्यान्तर्गत स्थित प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को देय अनुदान की राशि में संशोधन करते हुए दोगुनी राशि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार विभागीय आदेश ज्ञापांक–2880 दिनांक 16.11.2022 द्वारा वित्त रहित शैक्षणिक अनुदान राशि में भी वृद्धि संबंधी अनुशंसा किये जाने हेतु समिति गठित है एवं समिति की अनुशंसा पर अग्रेतर कार्रवाई विचाराधीन है।

विजय —
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–55 / 2023 779 राँची, दिनांक 12/03/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विजय —
12/3/23
सरकार के अवर सचिव।